हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निर्माण मण्डल-। (बद्दी) शिमला-2 के लेखाओंका अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अंकेक्षण की अवधि :- 4/98 से 3/99

भाग = एक

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:-

गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति निम्न दी जाती है। अत्याधिक लम्बी अवधि से अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:-

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि:-4/84 से 3/85:-

1. पैरा 4 — अनिर्णीत
2. पैरा 6(10)(ए) — अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88 :-

1. पैरा 5(1) — अनिर्णीत
2. पैरा 5(3) — अनिर्णीत
3. पैरा 5(4) — अनिर्णीत
4. पैरा 5(6) — अनिर्णीत

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89:-

1. पैरा 4(2)व(3) — अनिर्णीत
2. पैरा 4(4)(डोइ्ण) — अनिर्णीत
3. पैरा 4(11 व 12) — अनिर्णीत
4. पैरा 9 — अनिर्णीत
5. पैरा 12(9) — अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90:-

1. पैरा 4(5)(डी) — अनिर्णीत
2. पैरा 4(6)(बी),4(8) 4(11) व 4(12) — अनिर्णीत
3. पैरा 4(17) — अनिर्णीत

...2...

4. पेरा 4(18)	अनिर्णीत
5. पेरा 4(20,21)	अनिर्णीत
6. पेरा 5(3)	अनिर्णीत
7. पेरा 5(9)	अनिर्णीत
8. पेरा 6(1)	अनिर्णीत
9. पेरा 7	अनिर्णीत

(ड.) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91:-

1. पेरा 5(क-1,2)	अनिर्णीत
2. पेरा 5(ख-1से3तक)	अनिर्णीत
3. पेरा 5(ग-1से4 तक)	अनिर्णीत
4. पेरा 5(घ-5से7तक)	अनिर्णीत
5. पेरा 5(ड.-1 से 3तक)	अनिर्णीत
6. पेरा 5(च-1से7 तक)	अनिर्णीत
7. पेरा5(छ)	अनिर्णीत
8. पेरा 5(ज)	अनिर्णीत
9. पेरा 5(ञ)	अनिर्णीत
10. पेरा 5(ट-1,2)	अनिर्णीत
11. पेरा 5(ठ-1से4 तक)	अनिर्णीत
12. पेरा 5(ड-2से6 तक)	अनिर्णीत
13. पेरा 5(ढ)	अनिर्णीत
14. पेरा 5(द-3)	अनिर्णीत
15. पेरा 5(ब,भ,म)	अनिर्णीत
16. पेरा 6(क,ग,घ,ड.)	अनिर्णीत
17. पेरा 7(क)	अनिर्णीत
18. पेरा 10(ख)	अनिर्णीत
19. पेरा 11(ख)	अनिर्णीत
20. पेरा 12	अनिर्णीत
21. पेरा 13(ग,घ,ड.)	अनिर्णीत
22. पेरा 14(क,ख,ग,घ,ड.,च)	अनिर्णीत
23. पेरा 15(ख,ग)	अनिर्णीत
24. पेरा 16(क-1,2,ख,घ,ड., च,ज तथा ट)	अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92:-

1.	पेरा 5(ङ.,च,छ-1,2,ज,झ,ञ,ट,ठ,ड,ढ,ण तथा त)	अनिर्णीत
2.	पेरा 6(क,ख-1 से 3,ग,ङ व च	अनिर्णीत
3.	पेरा 9(क,ग,घ)	अनिर्णीत
4.	पेरा 10(क,ख)	अनिर्णीत
5.	पेरा 11(ख)	अनिर्णीत
6.	पेरा 12(क,ख-2 घ,ङ.-1 से 2)	अनिर्णीत

(छ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94:-

1.	पेरा 7(क)	अनिर्णीत
2.	पेरा 7(ख)	अनिर्णीत
3.	पेरा 7(ग)	अनिर्णीत
4.	पेरा 12(ग)	अनिर्णीत
5.	पेरा 12(घ)	अनिर्णीत
6.	पेरा 12(च)	अनिर्णीत
7.	पेरा 19	अनिर्णीत
8.	पेरा 21	अनिर्णीत
9.	पेरा 27(क)	अनिर्णीत
10.	पेरा 28(क,ख)	अनिर्णीत
11.	पेरा 29(क)	अनिर्णीत
12.	पेरा 32(ख तथा ग)	अनिर्णीत
13.	पेरा 33(क तथा ख)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95:-

1.	पेरा 7	अनिर्णीत
2,	पेरा 8(ख)	अनिर्णीत
3.	पेरा 9	अनिर्णीत
4.	पेरा 13	अनिर्णीत
5.	पेरा 16	अनिर्णीत
6.	पेरा 18(ग)	अनिर्णीत

7. पैरा 23 अनिर्णीत
8. पैरा 24 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96:-

1. पैरा 8(1,2,3,4,5,6,7क,ख, 8 अनिर्णीत
2. पैरा 11 अनिर्णीत
3. पैरा 13 अनिर्णीत
4. पैरा 15 अनिर्णीत
5. पैरा 16 अनिर्णीत
6. पैरा 17 अनिर्णीत
7. पैरा 22 अनिर्णीत
8. पैरा 23 अनिर्णीत
9. पैरा 24 अनिर्णीत
10. पैरा 27 अनिर्णीत
11. पैरा 28 अनिर्णीत
12. पैरा 38 अनिर्णीत
13. पैरा 39 अनिर्णीत
14. पैरा 40 अनिर्णीत
15. पैरा 42(ख,ग) अनिर्णीत
16. पैरा 43 अनिर्णीत
17. पैरा 46(2,3व 5) अनिर्णीत

( ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97:-

1. पैरा 8 अनिर्णीत
2. पैरा 9 अनिर्णीत
3. पैरा 10 अनिर्णीत
4. पैरा 11(क तथा ख) अनिर्णीत
5. पैरा 12(ङ.,च,छ) अनिर्णीत
6. पैरा 14 अनिर्णीत
7. पैरा 16 अनिर्णीत
8. पैरा 17 अनिर्णीत
9. पैरा 19(ग) अनिर्णीत
10. पैरा 20 अनिर्णीत

11. पेरा 22	अनिर्णीत
12. पेरा 24{ख}	अनिर्णीत
13. पेरा 25	अनिर्णीत
14. पेरा 26	अनिर्णीत
15. पेरा 30	अनिर्णीत
16. पेरा 31{ख}	अनिर्णीत
17. पेरा 33	अनिर्णीत
18. पेरा 39	अनिर्णीत
19. पेरा 45	अनिर्णीत

{ट} अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98:-

1. पेरा 4	निर्णीत
2. पेरा 5	निर्णीत
3. पेरा 6	निर्णीत
4. पेरा 7	निर्णीत
5. पेरा 8	अनिर्णीत
6. पेरा 9	अनिर्णीत
7. पेरा 10{क,ख,ग}	निर्णीत
8. पेरा 10{घ	अनिर्णीत
9. पेरा 11	अनिर्णीत
10. पेरा 12	अनिर्णीत
11. पेरा 13	निर्णीत
12. पेरा 14{क},{ख} तथा {ग-1}	अनिर्णीत निर्णीत
13. पेरा 14{ग-2}	अनिर्णीत
14. पेरा 15	निर्णीत
15. पेरा 16	निर्णीत
16. पेरा 17	निर्णीत
17. पेरा 18	निर्णीत
18. पेरा 19	निर्णीत
19. पेरा 20	निर्णीत
20. पेरा 21	निर्णीत
21. पेरा 22	निर्णीत

22. पैरा 23	अनिर्णीत
23. पैरा 24	निर्णीत
24. पैरा 25	निर्णीत
25. पैरा 26	निर्णीत
26. पैरा 27	निर्णीत
27. पैरा 28	अनिर्णीत
28. पैरा 29	अनिर्णीत
29. पैरा 30	निर्णीत
30. पैरा 31	निर्णीत
31. पैरा 32	निर्णीत
32. पैरा 33	निर्णीत
33. पैरा 34	निर्णीत
34. पैरा 35	अनिर्णीत
35. पैरा 36	निर्णीत
36. पैरा 37	निर्णीत
37. पैरा 38	अनिर्णीत
38. पैरा 39	अनिर्णीत
39. पैरा 40	निर्णीत
40. पैरा 41	निर्णीत

"भाग - दो"

2. वर्तमान लेखा परीक्षण:-

आवास बोर्ड निर्माण मण्डल-। शिमला के अवधि 4/98 से 3/99 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम आगामी पैरा में दिए जाते हैं, श्री शेर सिंह कायथ, अनुभाग अधिकारी व श्री संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री होशियार सिंह, उप-नियन्त्रक के पर्यवेक्षण में दिनांक 1.7.99 से 4.9.99 तक शिमला में किया गया। मास 7/98 व 3/99 के लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्यसबगस्त अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया गया।

3. लेखा परीक्षण शुल्क:-

निर्माण मण्डल-। शिमला के वर्ष 1998-99 के लेखाओं के लेखा परीक्षण शुल्क को परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड कार्यालय को पृथक से सूचित किया जा

4. अग्रिम (क) कर्मचारी वर्ग का अग्रिम:-

निर्माण मण्डल-। शिमला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम दिनांक 31.3.99 को निम्नलिखित राशियां विभिन्न अग्रिमों के रूप में समायोजन हेतु बकाया पड़ी थीं जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है। इन अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है:-

अग्रिम का नाम	राशि जो 31.3.99 को बकाया पड़ी थी।
1. स्टाफ अग्रिम	6662.00
2. छुट्टी रियायती यात्रा अग्रिम	3910.00
3. स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	2725.00

(ख) विविध अग्रिम:-

आवास बोर्ड मण्डल-। शिमला के अधीन विभि विभागों/संस्थाओं/फर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.99 को रु0 6,60,059.00 रुपये की राशि समायोजनार्थ लम्बित पड़ी थी। इस राशि का विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिमों को समय पर वसूली/समायोजन करने की स्थिति चिन्ताजनक है क्योंकि इन राशियों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य के रखना आप जनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है। उन के विपरीत अग्रिमों की राशियों को वसूलने/समायोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए। अतः यह प्रकरण बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में

उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

5. **राजस्व आय:-**

(क) किराया रजिस्टर के अनुसार निम्न लिखित विभागों/संस्थाओं से दिनांक 31.3.99 को किराए की निम्नलिखित राशियां वसूल की जानी शेष थी:-

विभाग का नाम	राशि
1. आर.डी. विभाग	6000.00
2. एच.पी.एम.सी.	39038.00
3. युको बैंक निगम विहार	17512.00
	62550.00

यह मामला बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। शेष किराए की वसूली हेतु शीघ्र समुचित कार्यवाही करके सम्बन्धित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

(ख) अधीक्षण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के पत्र संख्या एच.बी.-15-10/83-तकनीकी-खण्ड-III दिनांक 7/8.12.98 जो कि जनरल मैनेजर एच.पी.एम.सी. को सम्बोधित किया गया है तथा अधिशाषी अभियन्ता को प्रतिलिपि प्रेषित है, के अवलोकन पर पाया गया कि रु0 13100.00 रुपये की राशि का समायोजन एच.पी.एम.सी. को देय राशियों के रूप में किया गया। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त राशि का समायोजन एच.पी.एम.सी से वसूली योग्य मकान किराया में से माह 12/98 में किया गया परन्तु उपरोक्त समायोजित की गई राशि का कोई भी विवरण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। आवश्यक विवरण अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

(ग) मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के पत्र संख्या: एच.बी.-15-10/83-तकनीकी-खण्ड-III दिनांक 20.1.99 जो अधिशाषी अभियन्ता मण्डल नं.1 को सम्बोधित है, के अनुसार """It is informed that since there is a specific decision of the competent authority not to charge any rent from institution of engineers and making available accomodation free of cost/charge.

उपरोक्त पत्र के अनुसार किराया रजिस्टर के अनुसार माह जनवरी, 1999 में उक्त संस्था से मकान किराया की कमाया 19,900.00 रुपये की राशि

...9...

प्रतिरिक्त बिना किसी राशि प्राप्ति के ही समायोजित कर दिया गया है यह राशि अवधि 1.11.85 से 31.12.89 तक 398 रुपये प्रति मास की दर से मकान किराया के रूप में उक्त संस्था से वसूली हेतु लम्बित थी परन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय जिसके अनुसार उक्त संस्था को मुफ्त आवास, आवास बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था, अंकेक्षण पर उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः समायोजित की गई 19,900/-रुपये की राशि की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जायें।

6. आवास बस्ती संजौली के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च1999 तक रु0 1,77,415/-रुपये की राशि के रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना

आवास बस्ती संजौली के रख-रखाव प्रभार रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.99 तक बस्ती के मकान/प्लाट मालिकों से लगभग रु0 1,77,415/-रुपये की राशि की वसूली की जानी शेष थी। जिन का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट"क" में संलग्न है। इतनी बड़ी राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः शेष राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

7. आवास बस्ती संजौली के मकान/प्लाट मालिकों से जल प्रभार की बकाया राशि रु0 49286.07 रुपये की वसूली न करना:-

आवास बस्ती संजौली के मकान/प्लाट मालिकों जल प्रभाररजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.99 तक बस्ती के मकान/प्लाट मालिकों से लगभग रु0 49286.07 रुपये की राशि की वसूली की जानी शेष थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में संलग्न किया गया है। आवास बोर्ड मण्डल-1 के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की जा: शेष थी, का पूर्ण अभिलेख वार्षिक लेखों में दर्ज करना अनिवार्य है। इस के अतिरिक्त शेष राशियों की वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये

8. बी.आर. संख्या: 3378 माह 3/99 द्वारा सैनीटेशन से सम्बन्धित निम्नलिखित सामान प्राप्त किया गया जिस की कुल कीमत 1,38,402/-रुपये थी:-

क्र.सं.	सामान का विवरण	मात्रा	दर	कुल कीमत
1.	सी. वाषना ई.डब्ल्यू सी सेट- 20012	11नं. प्रत्येक	1560.00	17160.00
2.	सी.वाषना सिस्टम 10 ली. कपैसटी	11नं. "	1650.00	18150.00
3.	ब्लाक प्लास्टिक सीट एवं कवर एडमीरल I कमांडर	11नं. "	315.00	3465.00
4.	सी. वाषना वाश बेसन 550x400	13नं. "	500.00	6500.00
5.	सी.पी.टवीस्टर रेल सेट-412	11नं.	560.00	6160.00
6.	सी.पी.टावल रिंग	11नं.	365.00	4015.00
7.	सी.पी. ग्लास सैल्फ	7नं.	835.00	5845.0
8.	सी.पी.पाइप कोक शोर्ट बोडी	16नं.	258.00	4128.00
9.	सी.पी. पाईप कोक लोंग "	32नं.	369.00	11808.00
10.	सी.पी. पिलर कोक	26नं.	268.00	6968.00
11.	सी.पी.स्टाप कोक/एंगल कोक	59नं.	256.00	15104.00
12.	सी.पी. बोटल ट्रेप	13नं.	346.00	4498.00
13.	सी.पी. कनेक्शन पाइप	59नं.	70.00	4130.00
14.	सी.पी. वेस्ट 32एमएम	13नं.	90.00	1170.00
15.	सी.पी.ब्रास चेनल एंडप्लग	13नं.	20.00	260.00
16.	स्टेनलैस स्टील किचन सिंक	5नं.	3325.00	16625.00
			~~[illegible]~~	125986.00
	बिक्री कर 1,2,4 व 5		7012.00	7012.00
	शेष पर 8%		5404.00	5404.00
				138402.00

अभिलेख को जांच करने पर पाया गया कि यह सामान जिन कार्डों में दिनांक 31.3.99 को दर्ज किया गया तथा इस प्रकार यह सामान आवास बोर्ड के वर्ष 1998-99 के तुलन पत्र में "भण्डार में उपलब्ध सामान शीर्ष" के अन्तर्गत मूल्यांकन भी कर लिया गया परन्तु इस सा

सामान की कीमत का आवास बोर्ड के लेखाओं में समायोजन अत्यन्त देरी से माह 4/99 में कैश वोचर संख्या 10 दिनांक 7.4.99 अर्थात वर्ष 1999-2000 में किया गया। परिणाम स्वरूप आवास बोर्ड के वर्ष 1998-99 के लेखे सही वित्तीय स्थिति का पुरोक्षित नहीं करते। इस अनियमितता के निपटारे हेतु शीघ्र पग उठाए जायें।

9. आवास बोर्ड केअधिकारियों/कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण आवास बोर्ड को भारी हानि:-

अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि निम्नलिखित राशियां स्टील शटरिंग प्लेटों के क्रय पर व्यय की गई थी:-

दिनांक	सी.आर.संख्या	प्लेटों का विवरण	कीमत	टिप्पणी
16.10.95	2950	150 अदद 4'×2' 50 अदद 4'×1'	96,950.00	यह प्लेटें मैं0 गुरचरण इन्डस्ट्रीज सेजोली से क्रय की गई।
1.7.97	3070	100 अदद4'×2'	77,250.00	यह प्लेटें आवास बोर्ड मण्डल परवाणु से खरीदी गई।
			1,74,200.00	

यह शटरिंग प्लेटें इनकी प्राप्ति की तिथि से आज तक बिना किसी उपयोग के सी टी. एण्ड पी. रजिस्टर पर शेष पड़ी बताई गई थी इनप्लेटों के क्रय पर 1,74,200.00 रुपये की राशि व्यय करने के उपरान्त भी इन्हें किसी कार्य पर उपयोग न करना एक अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। यदि यह प्लेटें किसी भी कार्य पर उपयोग हेतु वांछित नहीं थी तो इनके क्रय पर इतनी राशि व्यय करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। आवास बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनेक निर्माण कार्य निष्पादित करवाए जा रहे थे। अतः इन प्लेटों को समय-समय पर विभिन्न ठेकेदारों इत्यादि को किराया पर उपलब्ध करवाकर भारी मात्रा में आय अर्जित की जा सकती थी। अतः आवास बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण बोर्ड को भारी मात्रा में अर्जित होने वाली आय की हानि हुई है। यह मामला आवास बोर्ड के ध्यान में तुरन्त उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

10. बिन कार्डों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न सामान वर्ष 1998-99 के दौरान खरीदा गया परन्तु सम्बन्धित बिन कार्डों अनुसार सामान की ये मदें पहले ही अत्याधिक मात्रा में भण्डार में गत कई वर्षों से मौजूद थी। अतः भण्डार में पहले ही सामान की मदें उपलब्ध होने के बावजूद और सामान का क्रय किया जाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनियमित भी है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में क्रय किया गया यह सामान या तो वास्तव में भण्डार में मौजूद ही नहीं है अथवा इस्तेमाल अयोग्य हो चुका होगा जिस कारण यह मदें दोबारा क्रय की गई। इस सम्बन्ध में तथ्यों को छानबीन करके वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा यदि यह मदें भण्डार में उपलब्ध नहीं है अथवा इस्तेमाल अयोग्य हो चुकी हैं तो इनके क्रय पर व्यय की गई राशियों को दोषियों से शीघ्र वसूली की जाए ताकि आवास बोर्ड को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हो सके:-

वस्तु का नाम	बिन कार्ड संख्या	दिनांक 1.4.98 को बकाया मात्रा	1998-99 में क्रय की गई	1998-99 में उपयोग हुई मात्रा	31.3.99 को बकाया मात्रा
भवन निर्माण का सामान					
एल्युमिनियम टावल रोड 150x10एमएम	45	3094	352	1308	2138
एल्युमिनियम एल. ड्रोप 12"x$\frac{3}{4}$"	47	517	38	87	468
एल्युमिनियम डोर बोल्ट्स 250x10 एमएम	48	138	90	106	122
एल्युमिनियम हेन्डल 125 एमएम	54	3036	341	738	2639
एल्युमिनियम टावर बोल्ट 200x10 एमएम	~~115~~ 68	~~545~~ 1224	~~189~~ 105	~~630~~ 253	1076
एल्युमिनियम हेन्डल 100 एमएम	115	545	189	630	104
एल्युमिनियम टावर बोल्ट 300x10एमएम	116	213	33	49	197
एल्युमिनियम टावर बोल्ट 250x10 एमएम	132	565	61	167	459

<u>सेनेट्री का सामान:-</u>

सेन व प्लग फ्लोर वाश बेसिन 40 एम.एम.	20	25	22	9	58
सी.पी.पीलर काक 15 एम.एम.	59	9	44	18	55
क्रोमियम प्लेटें एवं बोल्ट 32 एम.एम.	50	52	13	7	58
सी.पी.स्टाप काक 15 एम.एम.	61	67	59	48	78
सी.पी.बेन काक 15 एम.एम.	63	10	37	21	26
सी.पी.ग्लास शेल्फ	65	31	7	-	58
क्रोमियम प्लेटेड कोनेक्टेड पाइप 45 से.मी.लम्बा	66	40	28	-	68
सी.पी.बीब कोक	77	26	54	22	58

(ग) इन्डेंट संख्या 00433 दिनांक 30.6.98 द्वारा 200 बोरी सीमेन्ट तथा 0.300 मीट्रिक टन पी.जी.आई. शीट आवास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए आवास के निर्माण हेतु जारी की गई। जब उपरोक्त निर्माण का संविदाकार द्वारा निष्पादित किया जा रहा था तो इस सामान को सीधे संविदाकार को जारी करने के बजाए निर्माण कार्य के एम.ए.एस. रजिस्टर पर दर्ज करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यदि यह सामान बाद में निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु संविदाकार को जारी कर दिया गया है तो इस सम्बन्ध में लेखाओं में आवश्यक समायोजन एवं संविदाकार खाता बही में प्रविष्टी एवं उपरोक्त सामान की कीमत की वसूली इत्यादि से सम्बन्धित विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

12. इन्डेंट संख्या 4034 दिनांक 1.5.98 द्वारा स्टाक में से निम्नलिखित सामान स्कूल: फिरलोग स्कीम, संजौली के तहत सम्पर्क सड़क में तारकोल बिछाने के लिए संविदाकार श्री रमेश सिंह को जारी किया गया :-

1. सीमेन्ट 100 बोरी
2. कोलतार 20 ड्रम

परन्तु संविदाकार खाता बही को जांच करने पर पाया ...

कि उपरोक्त 20 इस कोलतार की प्रविष्टि अनाज बही में नहीं की गई है और न ही ठेकेदार से आज तक 20 इस को कोलतार की राशि 30 अ 30611.60 रुपये की वसूली की गई है। इस गम्भीर अनियमितता बारे कारणों सहित औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त उक्त राशि को दोषी से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये।

13. स्टाक अभिलेख वर्ष 1998-99 की जांच करने पर पाया गया कि स्टाक में से निम्नलिखित सामान अधिशासी अभियन्ता की स्वीकृति लिए बिना ही जारी किया गया। यह एक गम्भीर अनियमितता थी। इस सामान के स्टाक में से जारी करने बारे सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये तथा भविष्य में वांछित स्वीकृति सामान जारी करने से पूर्व प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाये।

इन्डेंट नं. व दिनांक	सामान का नाम	राशि	प्राप्तकर्ता का नाम
4030, 5.4.98	सीमेन्ट 100बोरी	12154.00	रमेश मिश्र
000176, 1.4.98	सीमेन्ट 200बोरी	24308.00	प्रीतम सिंह
000110, 11.5.98	सीमेन्ट, 180बोरी	21877.00	के.डी. निराश
000111, 12.5.98	सीमेन्ट 180बोरी	21877.00	-"-
000080, 25.5.98	इमारती सामान डोर वोल्टस/टावर बोल्ट	45279.00	प्रीतम सिंह
000416, 25.5.98	-यथोपरि-	21608.00	बी.एस.चौहान
000186, 22.6.98	-यथोपरि-	7442.10	प्रीतम सिंह
00001, 26.7.98	वाटर मीटर 88नं.	27192.00	कल्याण सिंह
000193, 31.8.98	स्लाईडिंग डोर वोल्टस टावर बोल्ट	14301.65	प्रीतम सिंह
000121, 9.11.98	सरिया	83029.00	ओंकार नाथ
4045, 3.11.98	सीमेन्ट 150बोरी	18231.00	रमेश मिश्र
000156 12.11.98	सीमेन्ट 200 बोरी	24308=10	रा.ज/प्रीतम सिंह
000003, 26.11.98	सी.पी.एंगल	1351.00	कल्याण सिंह
000201, 12.11.98	आर.सी.सी.हुक पाइप	1910.90	रमेश मिश्र
000157, 1.12.98	सरिया	24658.20	मै0 केरिया इन्टर प्राईसिज
000122, 2.12.98	सरिया ~~[illegible]~~	122563.00	ओंकार नाथ

000166,3.3.99	बरिया सीमेन्ट	71596.63	मोहन सिंह
000164,20.1.99	बरिया	99017.17	प्रेम सिंह
000006,8.1.99	जी.आई.पाईप	2859.00	कल्याण सिंह
000161,8.1.99	सीमेंट 200बोरी	27598.00	मोहन सिंह
000159,8.1.99	सीमेंट 200 बोरी	27598.00	मै0 मेरिया इन्टरप्राईजिज
000163,20.1.99	सीमेंट 100 बोरी	13699.00	मोहन सिंह
000160,8.1.99	बरिया	182433.00	मै0 मेरिया इन्टप्राईजिज
000165,2.2.99	सीजी.आई सीटस	8734.00	अनिल चौहान
000252,23.1.99	बरिया	118032.00	सतीश कुमार

14. समायोजन वाउचर संख्या 77 माह 3/99 राशि 1,46,224.33 रुपये:-

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा रु0 1,46,224.33 रुपये के लिए स्टाक एवं स्टोर के अधिशेष का समायोजन दिखाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षण में जांच करने पर यह समायोजन गलत पाया गया। दिनांक 31.3.99 के अनुसार स्टाक में पड़ी शेष सामान की सूचि तैयार की गई है उसके अनुसार स्टोर की कुल कीमत रु0 46,57,007.85 रुपये दर्शाई गई है तथा खाता बही अनुसार स्टोर की कुल कीमत रु0 ~~45,10,78~~ 45,10,783.52 रुपये थी तथा इस प्रकार अधिशेष रु0 1,46,224.33 रुप. दिखाया गया है जो मिलान करने पर गलत पाया गया। लेखा परीक्षण अनुसार स्टोर में दिनांक 31.3.99 को शेष पड़े सामान की कीमत रु0 46,79,311.34 रुपये आनी चाहिए थी जिसके आधार पर स्टोर अधिशेष केवल 1,68,527.82 रुपये बनता है। इस प्रकार लाभ-हानि खाते में रु0 22303.49 [1,68,527.82-1,46,224.33] रुपये से लाभ कम आंका दिखाया गया है। अत: लेखाओं में आवश्यक सुधार करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय करवाया जाए। अन्तर का विवरण निम्न वर्णित है:-

बिन कार्ड सं.	मद का नाम	मात्रा/बारो दर	राशि जो ली गई	राशियां आती है	अन्तर
ओ.बन. 131	एल्युमिनियम टावर बोल्ट 250x10 एमएम	459नं.40.20रु.	15376.50	18451.80	3075.30
एस.एम.16	एस.एस.डब्ल्यु इ.डब्ल्यु सी.	6नं. 425.00रु.	593.70	2550.00	1956.30

एस.एम.17	एच.एस.डब्ल्यू ई.डब्ल्यू,सी.	18नं. 270.00रु.	1404.00	4860.00	3456.00
एम.एम.23	एच.डी.आरब्रांच पिंड डोर ~~4x4~~"x4"x4"	7नं. 113.46रु.	140.70	794.22	653.52
एस.एम.38	एच.डी.आई आफ सट 2"	1नं. 7.70रु.	-	7.70	7.70
डब्ल्यू एस.16	जी.आईटी. 1¼"	1नं. 12.00	4.90	12.00	7.10
डब्ल्यू एस. 38	जी.आई पाइप 25एमएम	111.03	1717.75	2365.00	647.25
डब्ल्यू.एस. 43	जी.आई.पाइप 40एमएम	166.70 / 89.15	2341.13	14861.30	12520.17
डब्ल्यू एस. 45	जी.आई. रिड्यूसिंग सोकेट 30x40 एमएम	2नं.,8.00	160.00	16.00(-)	144.00
एस.एम.39	सी.आई.डोर बंड 4"	3नं. 86.00	126.00	258.00	132.00
				कुल योग:	22303.49

15. निम्नलिखित इन्डेंटों द्वारा भण्डार में से विभिन्न वस्तुएं विभिन्न निर्माण कार्यों पर उपयोग हेतु जारी की गई थी लेकिन इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर लेखा परीक्षा में जांच पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर सामान के निपटारे सहित आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाएं:-

इन्डेंट सं.	दिनांक	राशि	टिप्पणी
000410	15.5.98	12154.00	100 बोरी सीमेंट सोलोडे होम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को जारी की गई व श्री डी.एस. चौहान कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया।
000272	25.5.98	9960.65	स्लाईडिंग डोर बोल्ट्स टावर बोल्ट

बोल्ट्स

			कारा माडल सेन्ट्रल जेल कांगड़ा होस्टल ब्लाक को को जारी किया गया तथा श्री डी.के.टन्डन कनि. अभियन्ता ने प्राप्त किया ।
000273	25.5.98	3367.00	स्लाईडिंग डोर बोल्ट हेन्डल, टावर बोल्ट इत्यादि माडल सेन्ट्रल जेल कांगड़ा में टाईप-III के निर्माण कार्य को जारी किया गया व श्री डी.के.टण्डन कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया।
000417	29.5.98	12154.00	सीमेंट 100 बोरी श्री बी.एस.चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया तथा यह सामान बॉयज होस्टल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को जारी किया गया।
0418	8.6.98	21608.00	स्लाईडिंग डोर बोल्टस, टावर बोल्ट इत्यादि सामान बॉयज होस्टल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को जारी किया गया तथा श्री बी. एस. चौहान कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया।
000433	23.7.98	32700.00	सीमेंट,पी.जी.आई.शीट सी.जी.आई.शीट आवास बोर्ड के कर्मचारियों के आवास के निर्माण कार्य को जारी किया गया तथा श्री बी.एस.चौहान कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया।
000291	24.8.98	1576.00	स्लाईडिंग डोर बोल्ट, हैन्डल इत्यादि माडल सेन्ट्रल जेल कांगड़ा में ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण कार्य को जारी किया गया तथा श्री आर.एस.चन्देल क. अभियन्ता ने प्राप्त किया।
000290	24.8.98	3101.00	स्लाईडिंग डोर बोल्ट हेन्डल इत्यादि सामान माडल सेन्ट्रल जेल में अतिरिक्त मंजिल के निर्माण को जारी किया गया तथा श्री आर.एस.चन्देल कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया ।
000287	24.8.98	3550.0	स्लाईडिंग डोर बोल्ट,टावर बोल्ट हैन्डल इत्यादि माडल सेन्ट्रल जेल कांगड़ा में हाई सिक्युरिटी बैरेक्स के निर्माण कार्य को जारी किया गया तथा श्री आर.एस.चन्देल ने प्राप्त किया।
000288	24.8.98	1532.00	स्लाईडिंग डोर बोल्ट, टावर बोल्ट,हैन्डल इत्या माडल सेन्ट्रल जेल कांगड़ा में हाई सिक्युरिटी बैरेक्स के निर्माण कार्य को जारी किया गया तथा श्री ~~आर.एस.चन्देल~~ ओ.के.एस. [illegible] कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया ।

000003	26.11.98	1351.00	बी.पी.एंगल स्टाप साफ 32नं. श्रेणी-II फ्लैटस स्टाकरी हिल को जारी किया गया तथा श्री के.एस.ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया।
00080	5.2.99	36361.10	स्लाईडिंग डोर बोल्ट,टावर बोल्ट सामान आवास बोर्ड के कर्मचारियों के आवास के निमाण कार्य हेतु जारी किया गया तथा श्री बी.एस.चौहान कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया।
00082	5.3.99	88683.00	वाटर फिटिंग का विभिन्न सामान आवास बोर्ड के कर्मचारियों के आवास के निमाण कार्य को जारी किया गया तथा श्री.
0006	8.1.99	2859.00	वाटर फिटिंग का विभिन्न सामान 32नं. श्रेणी-2 फ्लेटस के निमाण कार्य को जारी किया गया तथा श्री के.एस. ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता ने प्राप्त किया।

16. अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के अन्त में आवश्यकता से अधिक भारी मात्रा में निम्नलिखित भवन सामग्री भण्डार में से जारी की गई। ऐसा केवल निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत व्यय को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए जाने के उद्देश्य से ही किया गया लगता है। यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई जाती है। प्रत्येक कार्य पर उपयोग हेतु जारी किए गए सामान के उपयोग का विवरण आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोक हेतु शीघ्र पग उठाए जायें।

इन्डेट नं.व दिनांक	सामग्री का नाम	मात्रा	कीमत	निर्माण कार्य का नाम
000256,12.3.99	सरिया	8378मि.टन	136524.77	पुलिस हाउसिंग स्कीम हेतु
000257,13.3.99	सरिया	9.605मी.टन	168257.87	-यथोपरि-
000261,.15.3.99	सरिया	8.450 मि.टन	152241.62	-यथोपरि-
000258,15.3.99	सरिया सीमेंट	12.970मि.टन 180बोरी	240683.20	-यथोपरि-
000260,25.3.99	सरिया सीमेंट	10.552मि.टन 400बोरी	221663.03	-यथोपरि-

000164, 12.3.99	सरिया	5.790 मि.टन.	99017.17	पुलिस हाउसिंग स्कीम ढली।
000169, 15.3.99	सीमेंट	200 बोरी	24308.10	पुलिस हाउसिंग स्कीम, रामपुर।
000297, 18.3.99	सीमेंट	250 बोरी 8.129 मि.टन	170411.27	पुलिस हाउसिंग स्कीम रोहडू।
000078, 20.3.99	सीमेंट	460 बोरी	55908.40	एस.एफ.एस.स्टावरी हिल।
000079, 20.3.99	सीमेंट	260 बोरी	31600.40	-यथोपरि-
000167, 25.3.99	सीमेंट सरिया	120 बोरी 4.175 मि.टन	87202.00	पुलिस हाउसिंग स्कीम कुमारसेन।
000170, 26.3.99	सरिया	3.875 मि.टन	67046.00	-यथोपरि-
000168, 29.3.99	सीमेंट सरिया	200 बोरी 8.550 मि.टन	172531.00	पुलिस हाउसिंग स्कीम ननखरी।
000082, 22.3.99	वाटर फिटिंग का सामान		88683.00	आवास बोर्ड के कर्मचारियों का आवास निर्माण।
00080, 20.3.99	स्लाईडिंग बोल्ट इत्यादि सामान		36361.10	-यथोपरि-
		कुल योग:	1752488.93	

17. स्टाक अभिलेख वर्ष 1998-99 को जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित इन्डेटों के जरिए संविदाकारों द्वारा सरिया को वास्तव में मांगी गई मात्रा से भी अधिक मात्रा में सरिया स्टाक में से जारी कर दिया गया था। संविदाकारों द्वारा वास्तव में मांगी गई मात्रा से भी अधिक मात्रा में सरिया स्टाक में से जारी करना एक गम्भीर अनियमितता थी। इस अनियमितता बारे शेष कारणों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में स्टाक में से सामान जारी करते समय पूर्ण सतर्कता बरती जाए:-

इन्डेंट नं. व दिनांक	संविदाकार द्वारा मांगी गई मात्रा मी.टन।	स्टाक में से जारी की गई मात्रा मी.टन।	सरिया का विवरण
000151, 20.10.98	1.000	1.330	8 एम.एम.

1.	2.	3.	4.
00132, 23.10.98	2.000	2.060	20 एम.एम.
	2.000	2.210	16 " "
000150, 18.11.98	2.000	2.300	10 " "
	2.000	2.050	8 " "
00120, 28.11.98	1.000	2.060	20 " "
	1.000	1.300	8 " "
00122, 18 12, 98	2.000	2.370	16 " "
00122, 18.12.98			
00062, 15.10.98	5.000	5.145	25 " "
00061, 15.10.98	5.000	5.145	25 " "
000256, 15.2.99	2.000	6.058	20" "
000257, 23.2.99	5.000	5.250	8 " "
000261, 15.3.99	8.000	8.450	8 " "
000258, 6.3.99	2.000	6.590	20 " "
00261, 10.3.99	3.000	3.897	10 " "
	3.000	3.605	22 " "
0119, 13.10.98	2.000	2.355	16 " "
	2.000	2.670	22." "
000154, 26.11.98	2.000	2.652	8 " "
	2.000	3.371	16 " "
000168, 5.3.99	2.000	3.880	8 " "
00042, 4.5.98	1.500	1.630	16 " "
00406, 22.5.98	5.000	5.460	16 " "
000407, 24.5.98	5.000	5.550	16.0एम.एम.
000044, 3.6.98	4.0000	4.265	बो.जी.आई.शीट .63एम.एम.
000235, 24.8.98	0.150	0.210	16 एम.एम.सरिया
63, 28.11.98	5.000	4.850	बो.जी.आई शीट 10' गार्डर

18. लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित इन्डेंटों द्वारा एक उपखण्ड के कार्य से दूसरे उपखण्ड में जारी निर्माण कार्य को सामान स्थानान्तरित किया जाता रहा। नियमानुसार इस प्रकार स्थानान्तरित किए गए सामान पर 3 प्रतिशत की दर से स्टोर प्रभार वसूल नहीं किया जाना था क्योंकि ऐसे सामान को पूर्व में निर्माण कार्यों पर उपयोग हेतु जारी करते समय स्टोर प्रभार वसूल किया जा चुका था। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। अतः स्टोर प्रभार के रूप में 3% की दर से दोहरी गणना के कारण न केवल भण्डार खाते में लाभ की मात्रा अधिक दिखाई गई है परन्तु सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर उपयोग हेतु जारी करते समय स्टोर प्रभार वसूल किया जा चुका था। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। अतः स्टोर प्रभार के रूप में 3% की दर से दोहरी गणना के कारण न केवल भण्डार खाते में लाभ की मात्रा अधिक दिखाई गई है परन्तु सम्बन्धित निर्माण कार्यों जिन पर इन वस्तुओं का प्र प्रयोग किया गया है की कुल लागत में भी अनावश्यक तौर पर वृद्धि हुई है अतः इन राशियों का लेखों में पुनः समायोजन करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जावे।

इन्डेंट संख्या	दिनांक	सामान का विवरण	स्टोर प्रभार की राशि जो दो बार प्रभारित की गई।
000173	8.4.98	सीमेंट 200 बोरी	708.00
000176	29.4.98	सीमेंट 200बोरी	708.00
000180	23.5.98	सीमेंट 200बोरी व डोर बोल्टस हैन्डल इत्यादि	1319.00
000186	21.6.98	स्लाईडिंग डोर बोल्टस टावर बोल्टस	216.76
000182	20.6.98	सीमेंट	708.00
000191	1.8.98	सीमेंट	708.00
000193	31.8.98	स्लाईडिंग डोर बोल्टस टावर बोल्टस	416.505

19. **स्टोर मुल्य खातावही:-**

अंकेक्षण के दौरान प्रतिवर्ष आपत्तियां उठाने के बावजूद आज तक स्टोर मुल्यांकन खातावही का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये की राशि का सामान क्रय करके विभिन्न संविदाकारों को जारी किया जाता है परन्तु उक्त खातावही की अनुपस्थिति में संविदाकारों को जारी किए गए सामान की वसूल की जा रही कीमत की वसूली की जांच अंकेक्षण पर नहीं की जाती रही है। अतः गत वर्षों से लेकर आज तक की सम्पूर्ण अवधि की स्टोर मुल्यांकन खाता-वही तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

20. **निर्माण कार्य का नाम:-** कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के होली डे होम का निर्माण ।

संविदाकार का नाम:- मै0 त्रिलोक चन्द एण्ड क0 चण्डीगढ़ ।

अनुबन्ध संख्या: 13 वर्ष 1996-97 .

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम से सातवें चलत बिलों की विस्तृत जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) माप पुस्तिका संख्या 11398/93 पृष्ठ 37 सातवें चलत बिल की अतिरिक्त मद संख्या 62 कटिंग इन अर्थ वर्क की कार्यमात्रा 48.73 घन मीटर का भुगतान 150.00 रुपये पार्ट दर (पूर्ण दर 166.00 रुपये) प्रति घन मीटर की दर से राशि 7317.00 रुपये किया गया। इस मद का दर निर्धारण निम्न प्रकार किया गया था:-

मानक अनुसूचि 1987 के अनुसार उक्त मद	= 14.30
कार्य स्थल से 10 कि.मी. अतिरिक्त दूरी हेतु मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट से ढुलाई	= 46.70
	61.00

अनुबन्ध की समान मद संख्या एक अर्थात "एस्कावेशन इन अर्थ वर्क"....का प्रीमियम:-

संविदाकार द्वारा उक्त मद हेतु प्रस्तुत दरें	= 75.00
घटान 0.70%	= 0.53
	74.47

अनुबन्ध की मद संख्या एक की मानक दर

अनुसूचि अनुसार दर	= 22.12 रुपये
प्रतिशत प्रीमियम	= 236.66%
जमा राशि 14.30 पर 236.66% प्रीमियम	= 33.84
जमा राशि 46.70 पर 151.70 ओवर आल	= 70.84
	165.68

अर्थात 166.00 रुपये

उपरोक्त विवरणानुसार इस मद को निर्धारित की गई दर को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अनुबन्ध की मद संख्या एक अर्थात एक्सकावेशन इन अर्थ वर्क एवं डिस्पोसल अर्थ वर्क इन आल लीड एवं लिफ्ट" संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई दर 75/-रुपये प्रति घन मीटर में मिट्टी इत्यादि की वांछित दूरी तक ढुलाई की मजदूरी भी सम्मिलित थी। अतः उक्त अतिरिक्त मद कटिंग इन अर्थ वर्क का दर निर्धारण निम्न विवरणानुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित था:-

अनुबन्ध की मद संख्या एक हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर:-	= 75.00
घटाव रिबेट 0.70%	= 74.47
अनुबन्ध की मद संख्या एक की मानक दर अनुसूचि 1987 अनुसार दर	= 22.12
प्रतिशत प्रीमियम	=236.66 %
कटिंग इन अर्थ वर्क की मानक दर अनुसूचि 1987 अनुसार दर	=14.30
जमा समान मद का प्रतिशत प्रीमियम अर्थात 236.66%	= 33.85
अतः अतिरिक्त मद का दर निर्धारण	= 48.15

इस प्रकार संविदाकार को 48.15 रुपये के बजाये 166 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 48.78 एम³ मिट्टी की खुदाई एवं उठाने का कुल (166.00-48.15) 117.85×48.15= 5748.72 का अधिक एवं अनुचित भुगतान किया है। संविदाकार से उपरोक्त राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जावे।

(ख) इसी निर्माण कार्य के सातवें चल बिल के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 11398 पृष्ठ 37 पर कार्य की मद संख्या 63 "स्टोन सोलिंग परोपरली हैण्ड पैक्ड फिलिंग प...)" मानक दर अनुसूचि की मद संख्या 21.10 की कार्यमात्रा 27.36 घन मीटर की भुगतान 150.00 रुपये आंशिक दर (पूर्ण दर 335.00रुपये) प्रति घन मीटर की दर से 4104.00 रुपये का भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका संख्या 11398 पृष्ठ 12 तथा माप पुस्तिका सं. 11397,पृष्ठ 3 और 21 के अवलोकन पर पाया गया कि रिकार्ड प्रविष्टियों अनुसार पहले उक्त कार्य का नाम/नामिकलेचर "फिलिंग इन पलोन्थ विद स्टोन अन्डर लेयर" दर्ज करके इसे बाद में "स्टोन सोलिंग परोपरली हैण्ड पैक्ड फिलिंग" दर्ज कर दिया गया था। अवत में किए गए निर्माण कार्य की मद को बाद में बदलकर किसी अन्य मद के अन्तर्गत दर्ज करना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता थी। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्य स्थल पर असल में निष्पादित कार्य की मद एवं मात्रा की दोबारा पैमाइश करके अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दर निर्धारण करके अनुमानना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) निम्नलिखित अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदों के दर निर्धारण करते समय इन मदों के निष्पादन हेतु वांछित निम्नलिखित सामान की दरें निम्न दर्शाई गई थी परन्तु इन दरों के समर्थन में कोई भी निविदाएं/संविदाएं रेट कन्ट्रेक्ट/ मूल्य सूचि इत्यादि अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इन मदों के दर निर्धारण की जांच अंकेक्षण पर नहीं की जा सकी। सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

सातवें बिल की मद संख्या	कार्य का नाम	निर्धारित दर	सामान का विवरण	सामान दर
65/-प्रति-स्थापित	प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग 40 एमएम पैनलड और शटर फस्ट क्लास देवदार वुड	1960.75 प्रति वर्ग मी.	फर्स्ट क्लास देवदार की लकड़ी	32450.0 प्रति घन
73/-अतिरिक्त	पैनालिंग फार डोर विद 19 एमएमथिक वाटर प्रूफ बोर्ड	325.80	वाटरप्रूफ बोर्ड	375.00 वर्ग मीटर

77/अतिरिक्त	ग्रेनाईडिंग एंड फिनिशर्ग कट्रक्त एल्युमिनम एनोडाइज्ड हुक्स	6.25	एल्युमिनम हुक्स	50.00रु. प्रत्येक
81/अतिरिक्त	ग्रेनाइडिंग एंड फिनिशिंग पाइक्त टाइमफ्लोर स्पारिंग/ डिंडर	2890.75	फ्लोर स्पारिंग	500.00 प्रत्येक

(घ) सातवें चलत बिल की मद संख्या 2/3 (बी) ग्रेनाइडिंग फार्म वर्क इन फ्लैट सरफेस" का भुगतान माप पुस्तिका संख्या 11398 पृष्ठ 20-21 अनुसार कुल कार्य मात्रा 400.39 वर्ग मीटर का 60.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 24023.40 रुपये किया गया उक्त मद की रिकार्ड प्रविष्टियों के अवलोकन पर पाया गया कि स्लैब के फ्लैट सरफेस के अतिरिक्त छज्जा में किए गए कार्य की कार्य मात्रा को पैमाइश भी सम्मिलित की गई थी। अनुबन्ध में छज्जा में किए गए सीमेंट कंक्रीट फार्म वर्क तथा पलास्टर से सम्बन्धित मद सम्मिलित न होने के कारण इस मद को पैमाइश फ्लैट सरफेस में पैमाइश करके भुगतान किया गया था। यह प्रक्रिया अनियमित प्रतीत होती है। क्योंकि छज्जा में किए गए फार्म वर्क सीमेंट कंक्रीट तथा पलास्टर की अलग से पैमाईश करके इस मद का अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दर निर्धारण किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके अधिक/अनुचित भुगतान, यदि कोई हो, की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ङ.) इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित संविदाकार खाता बही अनुसार संविदाकार को आवास बोर्ड के स्टोर में से उपलब्ध करवाए गए सीमेंट का विवरण निम्न दिया जाता है:-

इन्डेंट नं.	दिनांक	सीमेंट की जारी की गई मात्रा (बोरी)	विभाग द्वारा सीमेंट जारी करने की वास्तविक तिथि
3164	24.2.97	180	26.3.97
3166	12.3.97	60	15.4.97
3167	1.4.97	50	26.4.97
3168	13.5.97	100	13.5.97
3169	13.5.97	200	31.5.97
3172	10.6.97	120	13.6.97
3174	28.6.97	120	7.7.97
3180	6.8.97	200	6.8.97
3188	11.9.97	200	17.9.97
3194	27.9.97	200	5.10.97
3197	3.10.97	100	15.11.97
307	7.11.97	60	24.12.97
314	15.1.98	200	19.1.98
320	2.2.98	200	13.2.98
329	10.2.98	180	11.3.98

परन्तु विभिन्न चलत बिलों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि इन माप पुस्तिकाओं अनुसार चलत बिल तैयार करने की तिथि तक निर्माण कार्य पर किए गए सीमेंट के उपयोग की मात्रा स्टाक में से वास्तव में जारी मात्रा से भी अधिक दिखाई गई थी:-

चलत बिल संख्या	माप पुस्तिका संख्या	बिल तैयार करने की तिथि	स्टाक में से वास्तव में जारी सीमेंट की मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार उपयोग किए गए सीमेंट की मात्रा
प्रथम	10309	31.3.97	180	230
द्वितीय	10309	17.7.97	830	890
तृतीय	10309	22.10.97	1430	1570
चतुर्थ	10309	31.1.98	1790	1700
पांचवा	10309	19.3.98	2170	2370

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि चालू बिलों को तैयार करते समय या तो वास्तव में निष्पादित की गई कार्य की विभिन्न मदों का माप अधिक बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया था अथवा निष्पादित की गई मदें दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण थीं। इस सम्बन्ध में तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए होली-डे-होम के निर्माण कार्य हेतु रु0 64,43,545.00रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र संख्या एच.जी.(डी.बी.) एच.एच.कुरुक्षेत्र/95-जब-II-2412 दिनांक 24.10.94 द्वारा दी गई थी परन्तु तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त खाता बही पृष्ठ 161 के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य पर 77,66,963.72रुपये का व्यय किया जा चुका था जो कि वित्तीय स्वीकृति से 20.54% अधिक है। व्यय में अत्याधिक बढ़ोतरी बारे ठोस कारणों सहित औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित संशोधित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अनुमानता का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए।

(ङ) उपरोक्त निर्माण कार्य के सातवें चालू बिल की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में दर्ज की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना में त्रुटियों के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था:-

क्र. सं.	माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	मद का नाम	दत्त मात्रा	देय मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
47/54	10309/80	स्टील वर्क वेल्डेड	168.8238 कि.ग्रा.	168.80 कि.ग्रा.	0.0238 कि.ग्रा.	2400/-	57.0
4/6	10309/75	पी/एससीसी 1:6:12	0.29 घ.मी.	0.23घ.मी.	0.06 घ.मी.	700/-	42.0
7/8	10309/76	पी/एससीसी 1:2:4	11.59घ.मी.	11.25घ.मी.	0.34 घ.मी.	1850/-	629.0
50/55	10309/86	एम.एस.एंगल 40x40x6एमएम	4366.08 कि.ग्रा.	4359.07 कि.ग्रा.	7.01 कि.ग्रा.	2390/-	168.0
							896.0

-166-

इस प्रकार संविदाकार को अधिक किए गए रु0 896.00 रुपये केके भुगतान को वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये।

21. गाउचर संख्या 148 दिनांक 31.3.99 राशि 2,95,958/-रुपये:-

अनुबन्ध संख्या : 26 वर्ष 1998-99

माप पुस्तिका सं. : 17529

बिल संख्या : प्रथम

संविदाकार का नाम: श्री कलेश कुमार गोयल

कार्य का नाम : 28 नं. श्रेणी-I फ्लैट्स का निर्माण

उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल को जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई:-

(क) माप पुस्तिका संख्या 17529 पृष्ठ 3 पर प्रथम चलत बिल की मद संख्या 1/1 मिट्टी कीखुदाई से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न अनुसार की गई थी:-

0 आर.डी.ए' $= 6.50 \left(\frac{5.00+4.10+1.50}{4}\right)$ =17.23 वर्गमीटर

6 आर.डी.ए' $= 7.20 \left(\frac{6.20+5.10+2.90}{4}\right)$ = 25.56 वर्ग मी.

12 आर.डी.ए' $= 12.50 \left(\frac{7+5.95+5.20+1.30}{5}\right)$ =43.63 वर्गमी.

0 आर.डी.से6आर.डी. $= 1\times6\times\frac{17.23+2556}{2}$ =128.37घन मी.

6 आर.डी.से 12 आर.डी. $= 1\times6\times\frac{2556+4363}{2}$ =207.57 घन मी.

कुल मिट्टी खुदाई =335.94 घन मी.

परन्तु माप पुस्तिका अनुसार दर्शाए गए क्रास सेक्शनों के अनुसार विभिन्न स्थानों को दूरी भिन्न-भिन्न होने के कारण यह रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न प्रकार को जानी अपेक्षित थी :

0 आर.डी. $= \frac{1}{2}\times6.50\times5$ = 16.25 वर्ग मी.

6 आर.डी. 1/2 ×6.20×7.20 = 22.32 वर्ग मी.

12 आर.डी. =1/2×12.50×7 = 43.75 वर्ग मी.

0 आर.डी. से 6 आर.डी. $= 1\times6\times\frac{16.25+22.32}{2}$ = 115.71 घन मी.

- 167

6 आर.डी. से 12आर.डी. =1x6x$\frac{22.32+43.75}{2}$ = ~~xxxxxx~~ 198.21 घन मी.

313.92 घन मी.

इस प्रकार मिट्टी की खुदाई से सम्बन्धित किए गए कार्य की गलत ढंग से रिकार्ड प्रविष्टियां करने पर कुल कार्य मात्रा को 313.92 घन मीटर की बजाए 335.94 घन मीटर हेतु भुगतान करने पर कुल कार्य मात्रा 22.02 घन मीटर (335.94-313.92) का 60/-रूपये प्रति घन मीटर की दर से कुल राशि 1321/-रूपये का अधिक भुगतान किया गया था। इस राशि को दोषी से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

(ख) संविदाकार खाता वहीं अनुसार इस निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु संविदाकार को निम्न विवरणानुसार केवल 280 बोरी सीमेंट ही उपलब्ध करवाया गया था:-

इन्डेंट सं.	दिनांक	कितना सीमेंट जारी किया गया	सीमेंट जारी करने की वास्तविक तिथि
150	18.11.98	200 बोरी	3.12.98
258	6.3.99	180 बोरी	15.3.99
		380 बोरी	

परन्तु प्रथम चलत बिल अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य को सीमेंट कन्क्रीट से सम्बन्धित निष्पादित की गई निम्न मदों की कार्य मात्रा माप पुस्तिका संख्या 17529 पृष्ठ 1 से 7 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों अनुसार सीमेंट की कुल खपत 976बोरी बनती थी:-

मद का नाम	निष्पादित कार्य मात्रा	फेक्टर प्रति घन मी. प्रति बोरी	सीमेंट की कुल खपत
पी/एससीसी 1:2:4	143.82 घन मी.	6.40 प्रति घनमी.	920 बोरी
पी/एससीसी 1:4:8	16.56 घन मी.	3.40 प्रति घन मी.	56 बोरी
			976 बोरी

उपरोक्त विवरणानुसार सीमेंट की खपत के आधार पर संविदाकार के प्रथम चलत बिल में से भी 980 बोरी सीमेंट की कीमत की वसूली की गई थी।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु शेष 600 बोरी सीमेंट [1980-380] संविदाकार को कहां से उपलब्ध करवाई गई थी। अनुबन्ध अनुसार निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु सीमेंट आवास बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था। उपरोक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य को वास्तव में निष्पादित कार्य मात्रा को या तो बढ़ा-चढ़ा कर दर्शा दिया गया था अथवा निष्पादित दर्शाया गया निर्माण कार्य निम्न स्तर का था यह गम्भीर अनियमितता आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही तथा आवास बोर्ड द्वारा स्टोर में से जारी की गई सीमेंट की बोरियों के मध्य नजर वास्तव में निष्पादित कार्य मात्रा का आंकलन करके अधिक भुगतान की गई राशियों की दोषियों से शीघ्र वसूली हेतु लाई जाती है तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

[ग] प्रथम ~~बलित~~ चलत बिल की मद संख्या 6/10[डी] प्रोवाइडिंग एंड लेईंग सीमेंट कन्क्रीट 1:2:4 से सम्बन्धित कार्य की माप पुस्तिका संख्या 17529 पृष्ठ संख्या 21,24,26,30,34 व 38 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों के अवलोकन पर पाया गया कि स्टेयर केस में शटरिंग के करवाए गए कार्य की तुलना में प्रोवाईडिंग एंड लेईंग सीमेंट कन्क्रीट 1:2:4 की कार्य मात्रा का "फस्ट फ्लोर टु सेकिण्ड फ्लोर" में तीन बार पैमाईश करके प्रत्येक बार 0.78 घन मीटर अर्थात् कुल कार्य मात्रा 2.34 घन मीटर का भुगतान किया गया था जब कि केवल 0.78 घन मीटर मात्रा का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार इस मद की कार्य मात्रा 1.56 घन मीटर [2.34-0.78] हेतु 1870 रुपये प्रति घन मीटर की दर से संविदाकार को कुल 2917.20 रुपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया था इस गम्भीर अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त इस राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

(घ) उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 6/10(ए) "प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन फाउंडेशन फुटिंगज" की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 17529 पृष्ठ 50 पर गलत गणना के कारण 26.32 घन मीटर की बजाए 26.38 घन मीटर का भुगतान किया गया है इस प्रकार संविदाकार को 0.06 घन मीटर का 1870/-रुपये प्रति घन मीटर की दर से 112/-रुपये की राशि के अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली की जाए।

(ङ.) माप पुस्तिका संख्या 17529 पृष्ठ 3 के अनुसार 335.94 घन मीटर, पृष्ठ 4 व 46 के अनुसार 170.63 घन मीटर अर्थात 506.57 घन मीटर मिट्टी की खुदाई से सम्बन्धित कार्य ब्लॉक वर्क, अण्डर वर्क तथा प्लास्टिंग वर्क किया गया है इतनी बड़ी मात्रा में खुदाई की उपरोक्त निष्पादित कार्य मात्रा के बावजूद कोई भी इस्तेमाल योग्य सामग्री जैसे किवल्थर इत्यादि प्राप्त किया गया नहीं दर्शाया गया है। इस ~~सम्बन्ध~~ सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों द्वारा तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

22. <u>निर्माण कार्य का नाम:-</u> स्वत: वित्तीय स्कीम स्टाबरी हिल 8नं. श्रेणी-1, 28 नं. श्रेणी-2 मकानों का निर्माण।

संविदाकार का नाम: श्री बलविन्द्र गुप्ता।

अनुबन्ध संख्या : 4 वर्ष 1997-98

आंवटित राशि : 1,42,13,067.25 रुपये

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल से आठवें चलत बिल की विस्तृत जांच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(1) उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 12/16 "ब्रीक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर" जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 17503 पृष्ठ 17 पर की गई हैं, की कार्यमात्रा की गणना 67.09 घन मीटर के स्थान पर केवल 66.80 घन मीटर बनती है इस प्रकार 0.29 घन मीटर (67.09-66.80) की 1630/-रुपये प्रति घन मीटर की दर से 472.70 रुपये की राशि का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है। इस राशि को दोषी से शीघ्र वसूली की जाए।

 — 170 —

(2) अनुबन्ध की मद संख्या 7/9 "प्रोवाइडिंग एण्ड लेयिंग सीमेंट कन्क्रीट 1:2:4 इन सस्पेन्डेड फ्लोर" की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 11366 पृष्ठ 12 में ब्लाक नं. 8 श्रेणी-II टाईप वन क्वार्टस ए' से बी', ए² से बी² (ए³ से बी³, ए⁴ से बी⁴, ए⁵ से बी⁵, ए⁶ से बी⁶, ए⁷ से बी⁷) में मात्रा 1×7×4.16×.30×.35 = 3.06 घन मीटर ली गई है जबकि फार्म वर्क से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों अनुसार यह मात्रा 1×7×3.36×.30×.35 =2.46घन मीटर होनी चाहिए थी। इस प्रकार 0.60 घनमीटर (3.06-2.46) हेतु 1990 रूपये प्रति घन मीटर की दर से कुल 1194/-रूपये की राशि का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है। उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि की दोषी से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(3) अनुबन्ध के परिशिष्ट-बी के अन्तर्गत निष्पादित अतिरिक्त एवं प्रतिस्थानी मद "प्रोवाईडिंग एण्ड लेयिंग सीमेंट कन्क्रीट इन सस्पेन्डेड फ्लोर" का भुगतान संविदाकार द्वारा परिशिष्ट-ए की समान मद हेतु प्रस्तुत की गई दर पर किया गया था जबकि अनुबन्ध अनुसार अतिरिक्त/प्रतिस्थानी मदों की दर निर्धारण इस परिशिष्ट-बी की समान मद हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों की प्रीमियम अथवा परिशिष्ट-बी के ओवर आल प्रीमियम को जोड़ कर किया जाना अपेक्षित था:-

परिशिष्ट-बी की मद प्रोवाइडिंग एण्ड लेयिंग सीमेंट कन्क्रीट 1:2:4 इन सस्पेंडेड फ्लोर एण्ड वाल का भुगतान जिस दर से किया गया था	= 1990/-रूपये प्रतिघन मीटर
मानक दर अनुसूचि अनुसार इस मद की दर	= 563.25/-रू.
जमा परिशिष्ट"बी" का प्रतिशत प्रीमियम	= 151.06 %
अतः निर्धारण दर = 563.25+151.06%	=1414/-रूपये

इस प्रकार इस मद की निष्पादित कुल कार्य मात्रा 42.60 घन मीटर का 1414/-रूपये प्रति घन मीटर की बजाए 1990/-रूपये प्रति घन मीटर की दर से करने पर संविदाकार को कुल 24538/-रूपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया इस राशि की दोषी से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

(4) उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवें चालू बिल के परिशिष्ट-बी (स्थल का किराया) की मद संख्या:1/1 "कटिंग इन अर्थ-वर्क" के करवाए गए कार्य को 1692.75 घन मीटर मात्रा का 55/-रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया उक्त कार्य के माप की रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की माप पुस्तिका संख्या 17503 पृष्ठ 2 की जांच करने पर पाया गया कि गणना सही प्रतीत नहीं होती है। क्रास सेक्शनों ए ए', बी बी', व सी सी' पर ऊंचाई भिन्न-भिन्न होने तथा ऊंचाई में काफी अन्तर होने पर भी क्रास सेक्शनों का औसत एरिया निकालकर कुल लम्बाई से गुणा देकर कुल कटाई का आयतन निकाला गया था जबकि तीनों क्रास सेक्शनों का अलग-अलग आयतन वास्तविक लम्बाई तथा ऊंचाई के आधार पर निकाला जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि एक क्रास सेक्शन से दूसरे क्रास सेक्शनों तक वास्तव में कितनी लम्बाई थी तथा अंकेक्षण के सर्वे/साईट प्लान उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण वास्तविक लम्बाई का पता न चल पाने के कारण सही गणना का आंकलन नहीं किया जा सका। माप पुस्तिका में अंकित किए गए रेखांचित्र के आधार पर यह मान लिया जाए कि तीनों क्रास सेक्शनों की दूरी एक समान थी तो भी निम्नविवरणानुसार 35.75 घनमीटर के माप हेतु 55/-रुपये की दर से रु0 1966/- रुपये की राशि का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया प्रतीत होता है:-

माप पुस्तिका में की गई गणना	बराबर लम्बाई के आधार पर गणना जो बनती थी।
$1 \times 1 \times 15 \times \frac{55.00+60.00}{2} = 862.50$	$1 \times 1 \times 30 \times \frac{55.00+60.00+50.70}{3}$
$1 \times 1 \times 15 \times \frac{60.00+50.70}{2} = 830.25$	$=1657.00$
1692.75	

अधिक मापा गया माप= 40.98 1692.75-1657.00=35.75घनमी.

इस सम्बन्ध में तथ्यों की शीघ्र जांच करके तथा की गई कार्य की सही गणना के उपरान्त अधिक भुगतान की गई रु0 1966 रुपये की राशि दोषी से शीघ्र वसूली करके अनुपालना का सत्यापन आगामी

...4...

अंकेक्षण पर करवाया जाए।

(5) इस निर्माण कार्य की मद संख्या 3/5 "प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कन्क्रीट 1:6:12 इन फाउन्डेशन एण्ड पलींथ" के अन्तर्गत ब्लाक नं. 6 के पिछले रिटेनिंग वाल के निम्नलिखित भाग में रोड़ी डाली गई है जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 17503 पृष्ठ 36 पर निम्न प्रकार की गई है:

बांया हाथ भाग= 1×1×2.30×1.80×0.15

दांया हाथ भाग= 1×1×3.00×1.80×0.15

परन्तु उपरोक्त भाग में 1:6:12 सीमेंट कन्क्रीट डालने के उपरान्त माप पुस्तिका संख्या 17503 पृष्ठ 37 पर की रिकार्ड प्रविष्टियां के अनुसार फिर दोबारा निम्न प्रकार रोडी डाली गई है:

1×1×2.30×1.80×0.15 = 0.62 घन मीटर

इस प्रकार उपरोक्त 0.62 घन मीटर में सीमेंट कन्क्रीट डालने का 740/-रूपये प्रति घन मीटर की दर से रु0 458.80रूपये का दोबारा/अधिक भुगतान किया गया है उपरोक्त राशि का दोषी से ही शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(6) उपरोक्त निर्माण कार्य के चालू बिलों की मद"प्रोवाइडिंग स्टील रीइनफोरसमैन्ट" की जांच करने पर पाया गया कि रिकार्ड प्रविष्टियाँ करते समय निम्न विवरणानुसार गलत जमा-घटा करने के कारण ~~140.75~~ 140.75 किलोग्राम सरिया का 20/-रूपये प्रतिकिलो की दर से 2814.80 रूपये अधिक भुगतान किया गया है।

माप पुस्तिका सं. व पृष्ठ	सरिये का साईज	गणना में लिया गया भार कि.ग्रा.	भार जो बनता था कि.ग्रा.	अधिक लिया गया भार कि.ग्रा.
~~11376/36~~ 11367/36	8 एमएम	62.28	8.15	54.13
11367/57	-"-	6323.78	6315.35	8.43
11367/64	-"-	65.52	40.54	24.98
11367/05	-"-	871.21	856.23	14.98
11367/06	-"-	2228.17	2227,90	0,27
11367/09	-"-	1052.04	1027.25	24.79

173

11367/13	10 एमएम	3016.08	3015.48	0.60
11367/15	-"-	3032.93	3023.97	8.96
11367/30	-"-	6414.15	6413.80	0.35
11367/40	8 एमएम	4533.76	4533.22	0.54
11367/45	-"-	5182.38	5180.22	2.16
11367/49	-"-	4641.99	4641.44	0.55
				140.74

उपरोक्त 2814.80 रुपये की राशि का अधिक भुगतान की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(7) उपरोक्त निर्माण कार्य के चलत बिलों की जांच करने पर पाया गया कि नाप पुस्तिकाओं में दर्ज की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना में त्रुटियों के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था:-

मदसंख्या	नाप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	मद का नाम	दत्त मात्रा	देय मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
4/5(बी)	11366	फार्मवर्क इन बीम्स	313.91 वर्ग मी.	312.21	1.70	46/-	78.00
4/5(डी)	11371/36	फार्म वर्क इन कालम	1724.46 वर्ग मी.	1723.46	1.00	46/-	46.00
15/18	17503/16 17	प्रोजार्डिंग वुड वर्क	16.9188 घन मी.	16.626	0.2928	27000/- x80	7906.00
15/18	17503/96	-यथोपरि-	2.2794 घन० मी०	2.276	0.0034	27000x-	92.00
							8122.00

उपरोक्त 8122/-रुपये की राशि के अधिक भुगतान की शीघ्र दोषी से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

23. ग्रा़उचर संख्या 82 दिनांक 22.3.99 राशि 1,32,556/-रुपये:-

निर्माण कार्य का नाम: पालिका भवन का निर्माण

संविदाकार का नाम:-	मै0 राजिन्दर चौहान अनुदीप कुमार
अनुबन्ध संख्या:	16 वर्ष 1996-97
पक्का बिल संख्या:	दसवां

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य के दसवें पक्का बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह कार्य अवार्ड पत्र संख्या एस.बी.ई./ए-2 (439)/96-3017-23 दिनांक 28.11.96 तथा अनुबन्ध संख्या 16 वर्ष 1996-97 द्वारा कु0 1,02,28,978.72 रूपये की राशि हेतु आंबटित किया गया था परन्तु दसवें पक्का बिल तक जिसकी सम्बद्ध प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 17528 पृष्ठ 11 से 73 तक की गई हैं के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य पर कुल व्यय 1,77,74,660/- रूपये किया जा चुका था। व्यय में अत्याधिक बढ़ोत्तरी बारे ठोस कारणों सहित औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित संशोधित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए।

(ख) अनुबन्ध की मद संख्या 53(बी) "स्टोन वर्क बिल्डड इन बिल्ट अप सेक्शन इन ग्रेनेटिक्स फेस्ड मार्बल" की कार्य मात्रा 75.29 क्विंटल हेतु दर 3070.00 रूपये निर्धारित था। परन्तु इस मद की 53K 5018.34 किलो ग्राम का मात्रा का भुगतान 3070/-रूपये प्रति क्विंटल की दर से तथा शेष मात्रा 2510.66 किलो ग्राम को किसी अन्य डिजायन के अन्तर्गत निष्पादित करके इसे एक अतिरिक्त मद दर्शाकर इसका दर निर्धारण 3615.00 रूपये प्रति क्विंटल किया गया था। यह तथ्य अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जब इस मद को अनुबन्ध में सम्मिलित किया गया था तो उसमें किसी भी डिजाइन इत्यादि का उल्लेख नहीं था। अतः इस मद को किसी विशेष डिजाइन के अन्तर्गत निष्पादित करके इसे अतिरिक्त मद नहीं माना जा सकता। अतः उक्त मद का भुगतान अनुबन्ध में संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर अर्थात 3070.00 रूपये प्रति क्विंटल की दर से करने की बजाए 3615.00 रूपये प्रति क्विंटल की दर से इस मद की निष्पादित कुल कार्य मात्रा 2510.66 किलो ग्राम हेतु संविदाकार को 13,683.00 रूपये (2510.66×3615-3070) का अनियमित एवं

अनुचित रूप से अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान की गई राशि को शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) दसवें चलत बिल की मद संख्या: 58 (अतिरिक्त),प्रोजार्ड-डिंग फिक्सिंग शापर गेज सटर " को कार्य मात्रा 144.90 वर्ग मी. का भुगतान 1000.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आंशिक दर)(निर्धारित दर 1234.15 रुपये) की दर से 144900.00 रुपये किया गया। इस मद का दर निर्धारण अनुबन्ध की समान मद संख्या 19,24,26,27, 32हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों के औसत प्रतिशत प्रीमियम जोड़कर दर निर्धारण किया गया था परन्तु उक्त दर निर्धारण करते समय उपरोक्त प्रत्येक मद की अनुबन्ध अनुसार कार्य मात्रा को गणना में नहीं लिया गया था जिस कारण उपरोक्त दर निर्धारण गलत किया गया था। अनुबन्ध अनुसार कार्य मात्रा को गणना के लिए जाने पर इस मद का दर केवल 1004.20 रुपये निम्न विवरणानुसार बनता था।

अनुबन्ध की समान मद सं०	अनुबन्ध अनुसार कार्य मात्रा	मानक दर अनुसूचि अनुसार दर	कुल राशि	संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर	राशि
×19	4.00घनमी.	7330.80	29323	32050	128200.00
24	2432.68 मी.	8.00	19461	21.70	52789.00
26	166.10 "	46.70	7757	307.00	50993.00
27	166.10 "	24.30	4036	208.00	34549.00
32	42.00 वर्गमी.	122.90	5162	640.00	26880.00
			65737		293411.00

प्रीमियम प्रतिशत 346.32%

अतिरिक्त मद का मानक दर अनुसूचि अनुसार दरें = 225.00रू. प्रति वर्ग मीटर

जमा प्रतिशत प्रीमियम 346.32% = 779.22

1004.22 अर्थात

1004.20

इस प्रकार संविदाकार को 1004.20 रुपये को बजाए

-176-

1234.15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने पर इस मद को ~~बिल~~ 10 वें चलते बिल तक निष्पादित 144.90 वर्ग मीटर कार्य मात्रा हेतु 33320.00 रुपये [144.90x229.95] के अधिक भुगतान होने की सम्भावना थी अतः इस अतिरिक्त मद का भुगतान सही दर अर्थात 1004.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

[घ] इसी प्रकार दसवें चलत बिल की मद संख्या 59 (अतिरिक्त) "प्रोवाईडिंग फिक्सिंग पेनल्ड मोल्डड आउटरस फार डोर विडोंस" की कार्य मात्रा 121.90 वर्ग मीटर का भुगतान 1250.05 रुपये (आईटम रेट) (निर्धारित दर) प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 152375.00 रुपये किया गया। इस मद का दर निर्धारण भी उपरोक्त अनुसार अनुबन्ध की समान मद संख्या 19,24,26,27 तथा 32 हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों के औसत प्रतिशत प्रीमियम निकाल कर निर्धारित किया गया था परन्तु उक्त दर निर्धारण करते समय अनुबन्ध अनुसार उपरोक्त मदों की कार्य मात्रा को गणना में नहीं लिया गया था। अनुबन्ध अनुसार कार्यमात्रा को गणना में लिए जाने पर इस मद का दर निर्धारण निम्नविवरणानुसार 1428.90 रुपये बनता था:-

1756.05)

अनुबन्ध की समान मदसं.	अनुबन्ध अनुसार कार्य मात्रा	मानक दर अनुसूचि अनुसार दर	कुल राशि	संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर	राशि
19	4000घनमी.	7330.80	29323	32050.00	1282
24	2432.63घमी.	8.10	19461	21.70	52789
26	166.10 मी.	46.70	7757	307.00	50993
27	166.10 मी.	24.30	4036	208.00	34549
32	42 वर्ग मी.	122.90	5162	640.00	26880
			65739		2,93,411.00

प्रतिशत प्रीमियम = 346.32%

अतिरिक्त मद का मानक दर अनुसूचि अनुसार दर = 320.15 रु प्रति वर्ग मी.

जमा प्रतिशत प्रीमियम 346.32% =1108.75

अतः निर्धारित दर = 1428.90 रुपये

इस प्रकार संविदाकार को 121.90 रुपये प्रति वर्ग मीटर के इसके कार्य मात्रा हेतु 1428.90 रुपये प्रति वर्ग मीटर की इसके बजाए 1756.06 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने पर राशि 39,879.‍ .60 रुपये का अधिक भुगतान किए जाने की सम्भावना थी। अतः इस अतिरिक्त मद का भुगतान उपरोक्त सही दर से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ई.) उपरोक्त के अतिरिक्त सबसें बड़ा बिल की मद संख्या 60 (अतिरिक्त) "मेकिंग चेम्बरस एज आफ देवदार हुड जिसों डोर चौखट" को कार्य मात्रा 1550.16 मी. का भुगतान 3.85 रुपये प्रति मीटर की दर से 5968.00 रुपये किया गया था। इस मद का दर निर्धारण भी उपरोक्त विवरणानुसार अनुबन्ध की समान मद संख्या 19,24,26,27 व 32 हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर का प्रतिशत प्रीमियम अर्थात 448.51% जोड़कर किया गया था जबकि उपरोक्त मदों की कार्यमात्रा के मध्यनजर उक्त मद कर दर निर्धारण निम्न अनुसार होना चाहिए था:-

मानक दर अनुसूचि अनुसार उक्त मद की दर = 0.70 रुपये प्रति मी.

जमा प्रति शत प्रीमियम अर्थात 346.32% = 2.42 रुपये

3.12 रुपये

अर्थात 3.10 रुपये

अधिक भुगतान = 1550.16x0.75 (3.85 3.10)

= 1162.60 रुपये

उपरोक्त अधिक भुगतान की गई 1162.60 रुपयेकी राशि को दोषी से शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

24. वाउचर संख्या 160 दिनांक 31.3.99 राशि 6,09,454.00 रुपये

निर्माण कार्य का नाम:	स्व.: वित्तीय स्कीम के अन्तर्गत स्टाबरी हिल में 8 नं. श्रेणी-I, 20 नं. श्रेणी-II, व 8नं. श्रेणी-III फ्लैटस का निर्माण
संविदाकार का नाम:	श्री सतीश कुमार
अनुबन्ध संख्या 5	5 वर्ष 1997-98
बिल संख्या:	दसवां

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य के दसवें चलत बिल की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 6/8 "प्रोवाईडिंग एण्ड लेइंग सीमेंट कन्क्रीट 1:2:4 इन सस्पेन्डेड फ्लोर" की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 11368 पृष्ठ 11 में ब्लाक नं. 7 श्रेणी-II में बीम कालम ए^3 से बी^{3}, ए^{4}से बी^{4}, ए^5 से बी^{5}, ए^6 से बी^{6}, ए^7 से बी^{7}, ए^8 से बी^{8}, व ए^9 से बी^{9}, में मात्रा 1×7×4.16×.30×.35 = 3.06 घन मीटर ली गई है जब कि फार्म वर्क से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों अनुसार ~~मे~~ पद मात्रा 1×7×3.36×.30×.35 = 2.46 घन मीटर होनी चाहिए थी। इस प्रकार 0.60 घन मीटर (3.06-2.46) हेतु 1990 रूपये प्रति घन मीटर की दर से कु0 1194 रूपये की राशि का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि की दोषी से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्य के इस बिल की मद "प्रोवाईडिंग स्टील रीइनफोर्समेंट" की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार गलत जमा-गुणा करने के कारण 8.00 किलो ग्राम सरिया का 20/- रूपये प्रति किलो ग्राम की दर 160/-रूपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया है:-

माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	सरिया का साईज	गणना में लिया गया भार (कि.ग्रा.)	भार जो बनता था कि.ग्रा.	अधिक लिया गया भार
11365/41	25 एम.एम.	392.18	391.16	1.02
11365/43	-"-	258.62	257.95	0.67
11365/45	-"-	413.79	412.72	1.07
11365/50	-"-	1008.62	1006.00	2.62
11365/56	-"-	1008.62	1006.00	2.62
				9.008

उपरोक्त 160/- रूपये की राशि के अधिक भुगतान की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(ग) इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित संविदाकार खाता बही अनुसार संविदाकार को आवास बोर्ड के स्टोर में से उपलब्ध करवाए गए सीमेंट का विवरण निम्न प्रकार से है:-

इन्डेंट नं.	दिनांक	सीमेंट की जारी की गई मात्रा	बिन कार्ड द्वारा जारी करने की वास्तविक तिथि
3175	10.7.94	200 बोरी	28.7.97
3185	1.9.97	200 बोरी	20.9.97
3191	22.9.97	200 बोरी	1.10.97
3195	3.10.97	200 बोरी	5.10.97
3198	13.10.97	200 बोरी	6.11.97
302	10.10.97	400 बोरी	22.11.97
304	11.11.97	400 बोरी	12.12.97
310	1.12.97	400 बोरी	15.1.98

परन्तु विभिन्न चालू बिलों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि इन माप पुस्तिकाओं अनुसार चालू बिल तैयार करने की तिथि (तक) निर्माण कार्य पर किए गए सीमेंट के उपयोग की मात्रा स्टाक में से वास्तव में जारी मात्रा से भी अधिक दिखाई गई थी:-

चालू बिल	माप पुस्तिका संख्या	बिल तैयार करने की तिथि	स्टाक में से वास्तव में जारी सीमेंट मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार उपयोग किए गए सीमेंट की मात्रा
प्रथम	11368	7.10.97	800	740
द्वितीय	11368	12.11.97	1000	1680
तृतीय	11368	20.1.98	2200	2560

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि चालू बिलों को तैयार करते समय या तो वास्तव में निष्पादित की गई कार्य की विभिन्न मदों के माप अधिक बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया था अथवा निष्पादित की गई निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का कार्य दोष पूर्ण/त्रुटिपूर्ण था। इस सम्बन्ध में तथ्यों की शीघ्र छान-बीन करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

180

25. प्राज्यर संख्या 150 दिनांक 31.3.99 राशि 2,33,793/-रुपये:-

केन्द्र से पुलिस आवासीय स्कीम के तहत 32 नं. क्वार्टर श्रेणी-II के निर्माण कार्य का ठेका श्री कौशल कुमार गोयल संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 25 वर्ष 1998-99 द्वारा रु0 66,29,465.31 रुपये हेतु दिया गया था।

§1§ उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चालू बिल जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 17529 पृष्ठ 74 से 87 तथा आगामी प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 1136 पृष्ठ 1 से 14 तक की गई है, को जांच करने पर पाया गया कि मद संख्या 7/8 "प्रोवाईडिंग एण्ड लेयिंग सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन फाउंडेशन एण्ड फुटिंग" में गलत गणना के कारण इस मद की कार्य मात्रा 52.66 घन मीटर के स्थान पर 52.73 घन मीटर जोड़ी गई है इस प्रकार संविदाकार को 0.07 घन मीटर हेतु 1870/-रुपये की दर से रु0 130.90 का अधिक भुगतान किया गया है। इस राशि को दोषी से शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

§2§ इसी प्रकार मद संख्या 8/11 "प्रोवाईडिंग स्टील रिइन्फोरसमेन्ट इन आर.सी.सी. वर्क" को कार्यमात्रा गलत गणना के कारण 6630.21 किलो ग्राम के स्थान पर 6641.92 कि.ग्रा. जोड़ी गई है इस प्रकार संविदाकार को §6641.92-6630.21§ 11.71 कि.ग्रा. हेतु 21/40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 250.60 रु. का अधिक भुगतान किया गया है। उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि को दोषी से शीघ्र वसूल की जाए।

§3§ माप पुस्तिका संख्या 17529 पृष्ठ 76 से 87 के अवलोकन पर पाया गया कि निर्माण कार्य की निम्नलिखित मदों की रिकार्ड प्रविष्टियाँ निम्नलिखित दिनांकों पर की गई थी:-

दिनांक	माप पुस्तिका पृष्ठ	निष्पादित कार्य की मद का विवरण	निष्पादित कार्य मात्रा
28.3.99	76	सी.सी. 1:4:8	19.67 घन मीटर
29.3.99	78	सी.सी. 1:2:4 फाउंडेशन फुटिंग	52.73 घन मीटर

31.3.99	79	सस्पेन्डेड फ्लोर	13.04 घन मीटर
29.3.99	82	कालम-पीलर	12.89 -"-
31.3.99	85	स्टेयर केस	1.10 -"-
31.3.99	87	फार्म वर्क इन बी।	114.76 वर्ग मीटर
		स्टेयर केसेज	13.10 -"-
		कालम पीलर	91.90 -"-
31.3.99	89	सी.सी. 1:2:4 सस्पेन्डेड फ्लोर	13.04 घन मीटर
		कालम पीलर	7.86 -"-
		स्टेयर केसेज	1.10 -"-

प्रथम चालू बिल के अनुसार निर्माण कार्य की उपरोक्त निष्पादित कार्य मदों का भुगतान अन्य मदों के साथ चैक संख्या 0435760 दिनांक 31.3.99 कुल राशि 2,33,793/-रुपये द्वारा ठेकेदार को किया गया था। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.99 को की गई रिकार्ड प्रविष्टियों से सम्बन्धित विभिन्न मदों की कार्य मात्राओं का भुगतान उसी दिन अर्थात 31.3.99 को ही किस प्रकार कर दिया गया क्योंकि माप पुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टियों के उपरान्त बिल तैयार कर के भुगतान हेतु पारित करने में अपेक्षाकृत कई कई दिनों का समय लगने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में तथ्यों की उच्चाधिकारियों द्वारा जाँच-बीन करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

[4] माप पुस्तिका संख्या: 17529 पृष्ठ संख्या 76 के अनुसार कुल 242.25 घन मीटर का भुगतान मिट्टी की खुदाई से सम्बन्धित कार्य मात्रा हेतु किया गया था। परन्तु मिट्टी की खुदाई की उपरोक्त अत्याधिक कार्य मात्रा के निष्पादन के दौरान इस्तेमाल योग्य प्राप्त किए गए सामान जैसे पत्थर इत्यादि की गणना लेखाओं में नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों द्वारा तथ्यों की जाँच-बीन के उपरान्त आवश्यक प्रमाण पत्र माप पुस्तिका पर दर्ज करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाया जाए।

26. **माज्यर संख्या: 110 दिनांक 27.7.98 राशि 2,85,764/-रुपये**

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के होली-डे-होम के लिए भूमि विकास एवं सम्पर्क सड़क के निर्माण कार्य का ठेका श्री रमेश सिंह संविदाकार को अवार्ड पत्र संख्या एच.बी.ई.ए-2/495/98-683-95 दिनांक 14.5.98 द्वारा रु 5,57,106.62 रुपये हेतु अनुबन्ध संख्या 8 वर्ष 1998-99 द्वारा आबंटित किया गया था।

(1) उपरोक्त के निर्माण कार्य के प्रथम चल बिल जिसकी माप एवं रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 11507 पृष्ठ 12 से 21 तक की गई है, की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की मद संख्या 3/3 "एक्सकावेशन इन फाउंडेशन ट्रैंच इन आल काईंड आफ सायल" से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों के अनुसार भाग 2,4 में लम्बाई क्रमशः 4.20 मीटर, 5.75 मीटर दर्शाई गई थी जबकि सीमेंट कन्क्रीट 1:6:12 से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों अनुसार यह लम्बाई क्रमशः 4.10 मीटर व 5.70 मीटर दर्शाई जाने के कारण तथा 5 और 6 अनुसार रिकार्ड प्रविष्टियों में जमा गुणा में गलती के कारण संविदाकार को कुल कार्य मात्रा 1.78 घन मीटर का 55/-रुपये की दर से कुल 98/-रुपये का अधिक भुगतान किया गया था।

(2) इसी प्रकार निर्माण कार्य की मद संख्या 5(प्रतिस्थापित) में "आर.आर. मैसनरी बैंक वाल प्रथम भाग" की कुल लम्बाई 5.80मी. के स्थान पर 5.90 मीटर तथा द्वितीय भाग में 4.10 मीटर के स्थान पर 4.20 मीटर दर्शाए जाने के कारण संविदाकार को निम्नविवरणानुसार कुल 509/-रुपये का अधिक भुगतान किया गया था:-

मात्रा ली जानी थी	मात्रा ली गई	अधिक मात्रा ली गई।
प्रथम भाग $5.80 \times \frac{1.50+0.75}{2} \times 2.70 = 17.62$ घन मी.	17.92 घन मी.	0.30
द्वितीय भाग $4.10 \times \frac{1.50+0.75}{2} \times \frac{2.70+2.35}{2} = 11.65$ घन मी.	11.93 घन मी.	0.28
		0.58

 183

इस प्रकार 0.58 घन मीटर कार्य मात्रा हेतु 877.70 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 509/-रुपये का अधिक भुगतान किया गया था।

उपरोक्त अधिक भुगतान की गई कुल राशि 607/-रुपये [98+509] की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये।

[3] प्रथम चालू बिल के अनुसार मद संख्या 5/प्रतिस्थापी "आर. आर. मेसनरी सीमेंट मार्टर 1:6 की निष्पादित मात्रा 295.63घन मी. का भुगतान 877/70 प्रति घन मीटर की दर से 2,59,474.45 रुपये किया गया। उपरोक्त प्रतिस्थापी मद के दर विश्लेषण की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त मद का दर विश्लेषण अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया था परन्तु सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या एच.बी/डी.बी/आम/बी/98 दिनांक 4.1.98 के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता रु0 40,000/-रुपये तक की राशि की अतिरिक्त/प्रतिस्थापी मदें अनुमोदित करने में सक्षम है। अत: इस अनियमितता के सन्दर्भ में ठोस कारणों सहित औचित्य स्पष्ट करने के साथ साथ उपरोक्त मद का दर निर्धारण सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

27. वाउचर संख्या: 123 दिनांक 31.3.99 राशि 1,53,301/-रुपये:-

माडल सेन्ट्रल जेल कांगड़ा में बैरेक्स का रसोई ब्लाक के चारों तरफ सी.सी. फ्लोरिंग करने का ठेका श्री अशोक कुमार संविदाकार को अनुबन्ध संख्या: 32 वर्ष 1998-99 अवार्ड पत्र संख्या: एच.पी.ए. ई./ए-2[519]/98-4423-30 दिनांक 30.12.98 द्वारा रु0 2,42,403.50 रुपये हेतु दिया गया।

[1] उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चालू बिल जिसकी रिकार्ड एवं मापन प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 17534 पृष्ठ 1 से 19 तक की गई हैं, की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की मद संख्या 1/1 मिट्टी की खुदाई की कार्य मात्रा का सी.सी. 1:6:12 करने पर निम्नलिखित अन्तर पाया गया:-

-46-

184

माप पुस्तिका	पृष्ठ	स्थान	ली गई मात्रा	मात्रा ली जानी थी।	अन्तर
17534	3	निडिल टेरेस	1×4×1×.20=0.80	1×4×1.00×.10=0.40	0.40
-"-	"	पैरेपट	1×6.00×1.60×.10=0.96	1×6×1.45×10=0.23	
					0.73
17534	10	रेलगाड़ी पोरशन	4×3.40×0.50×0.30= 2.04	4×3.40×.50×.10 =0.68	= 1.36
-"-	"	फ्रंट यार्ड	1×9.80×1.90×0.10=1.86	1×9.70×1.85× .10=1.79	0.07
					2.56

इस प्रकार 2.56 घन मीटर प्रोनाईडिंग एण्ड अर्थिंग सीमेंट कन्क्रीट 1:6:12 की कार्यमात्रा का 1100/-रुपये प्रतिघन मीटर की दर से 2816/-रु० अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त राशि को दोषी से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण प. दिखाई जाये।

(2) इसी प्रकार मद संख्या 3/3 " 50 एम.एम. थिक सी. सी. फ्लोरिंग 1:2:4" में निम्न विवरणानुसार गलत गणना के कारण अधिक भुगतान किया गया था:-

माप पुस्तिका संख्या	पृष्ठ	भाग	गणना में ली गई मात्रा	मात्रा ली जानी थी	अन्तर
17534	3	भूतल अपर पैरेकस	24.60×4.55 =111.93	24.60×3.95=97.17	14.76
"	12	-"-	1.85×3.50= 5.90	1.65×3.50 =5.77	0.13
					14.89

इस प्रकार 14.89 घन मीटर का 130 रुपये प्रति घन मी. की दर से 1935.70 पैसे का अधिक भुगतान किया गया है उपरोक्त राशि को दोषी से शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जावे।

(3) उपरोक्त गलत विवरण के अतिरिक्त मदें "50एम.एम, थिक सी.सी. फ्लोरिंग विद मजाविक कन्क्रीट " तथा "प्रोनाईडिंग एण्ड फिनीशिंग ए.सी.शीट" का भुगतान अधिक दर से कुल राशि

 185

रु0 13382.90 रुपये का किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त मदों का दर निर्धारण सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया था। दर निर्धारण सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाकर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

28. **वाउचर संख्या: 125 दिनांक 31.3.99 राशि 5,51,585/-रुपये**

आवास बोर्ड के कर्मचारियों को आवास निर्माण के तहत 3 अदद अतिरिक्त आवास पहली मंजिल में तथा 2 अदद अतिरिक्त आवास ऊपरी मंजिल में निर्माण कार्य का ठेका श्री रविन्दर सिंह संविदाकार को अनुबन्ध 18 वर्ष 1998-99, अवार्ड पत्र संख्या एच.बी.ई./ए-2(505)/98-1877-84 दिनांक 18.7.98 द्वारा रु0 22,07,992/-रुपये की राशि का दिया गया।

उक्त निर्माण कार्य के चौथे चालू बिल की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में दर्ज की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना में त्रुटियों के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था:-

	माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	मद का नाम	दर्ज मात्रा	देयमात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
/24	17584/36	प्रोवाइडिंग वुड वर्क इन फ्रेम	0.2047 घन मी.	0.199	0.0057	4000/-	228.00
/33	17584/37	स्टील वर्क वेल्डेड इन ग्रेटिंग	3012.30 कि.ग्रा.	3011.01 कि.ग्रा.	1.29	3050/-	39.35
/2	17526/21	पी/एस.सी.सी. 1:2:4	4.857 घन मी.	4.80 घन मी.	0.057	2100/-	119.70
/3	17504/24	पी.एस.सी.सी. 1:1½:3	0.282 घन मी.	0.27	0.012	2100/-	25.20
/4	17526/28	पी.एस.सी.सी. इन छज्जा 1:2:4	1.66 घन मी.	1.64	0.02	3500/-	70.00
							482.25

इस प्रकार संविदाकार से रु0 482.25 रुपये की राशि

186

की वसूली तुरन्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर सत्यापित करवाई जाए ।

29. वाउचर संख्या 131 दिनांक 31.3.99 राशि 1,64,308/-रुपये:-

आवास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के तहत 3 नम्बर फ्लैट्स बेसमेंट फ्लोर तथा 3 नं. फ्लैट्स ग्राउंड फ्लोर के निर्माण कार्य का ठेका श्री रविन्दर सिंह संविदाकार को अनुबन्ध 29 वर्ष 1997-98 अवार्ड पत्र संख्या एच.बी.ई./ए-2[482]/97-3675-82 दिनांक 7.11.97 द्वारा रु0 16,10,600.75 रुपये हेतु दिया गया।

[1] उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवे चलत बिल जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 11374 पृष्ठ 1 से 75 तक तथा तत्संबंधी प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 11375 पृष्ठ 60 से 77 तक की गई हैं की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना में त्रुटियों के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था:-

मद सं.	माप पुस्तिका सं./पृष्ठ	मद का नाम	दत्त मात्रा	देय मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
9/10	11374/17	पी/एल.सी.सी. 1:2:4 इन छज्जा	1.66 घन मी.	1.64	0.02	3500/-	70.00
8/9	11374/33	पी/एल सीसी 1:1½:3	0.386 घन मी.	0.34	0.046	2600/-	119.60
7/3[बी]	11374/63	पी./एल.सी.सी. 1:2:4 इन स्पन्डल फ्लोर	0.36 घन मी.	0.18	0.18	2100/-	378.00
							567.60

इस प्रकार संविदाकार से रु0 567.60 रुपये अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र करके अ अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये।

[2] इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित संविदाकार खाता बही अनुसार संविदाकार को आवास बोर्ड के स्टोर में से उपलब्ध करवाए गए सीमेंट का विवरण निम्न दिया गया है:-

इन्डेंट संख्या	दिनांक	मात्रा	भण्डार में से जारी करने की वास्तविक तिथि
3200	18.10.97	200 बोरी	2.12.97
309	17.11.97	120 बोरी	17.12.97
315	15.1.98	200 बोरी	15.1.98
317	27.1.98	200 बोरी	12.2.98
326	10.2.98	200 बोरी	9.3.98
340	27.3.98	200 बोरी	27.3.98
418	1.6.98	200 बोरी	4.6.98
57	14.9.98	100 बोरी	27.9.98
		1420 बोरी	
दूसरे निर्माण कार्य को इंडेंट नं. 9713 दिनांक 25.6.98 को जारी किया गया ।		30 बोरी	
		1390 बोरी	

उपरोक्त निर्माण कार्य के चौथे चालू बिल जिसके लागू प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 11385 पृष्ठ 42 से 60 तक की गई हैं, के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त बिल तक 1500 बोरी सीमेंट कार्य पर उपयोग करने पर संविदाकार से वसूली दर्शाई गई है जबकि सीमेंट उपयोग विवरणी अनुसार केवल 1454 बोरी सीमेंट उपयोग की दर्शाई गई है परन्तु उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 9.11.98 अर्थात चालू बिल की तिथि तक कुल 1390 बोरी सीमेंट ही उपरोक्त निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु संविदाकार को वास्तव में जारी किया गया था।

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि चौथे चालू बिल को तैयार करते समय या तो वास्तव में निष्पादित की गई कार्य की विभिन्न मदों का माप अधिक बढ़ा-चढ़ा कर दर्ज किया गया था अथवा निष्पादित कार्य मात्रा दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण थी। इस सम्बन्ध में तथ्यों की शीघ्र छान-बीन करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत कराया जाए ।

30. <u>वाउचर संख्या 129 दिनांक 31.3.99 राशि 15,05,434.00</u>

पुलिस आवासीय स्कीम के तहत रामपुर बुशहर में 20 अदद श्रेणी-II क्वार्टर्स के निर्माण कार्य का ठेका श्री अनिल चौहान संविदाकार को अवार्ड पत्र संख्या उप.नि./ए-2(521)/99-4635-43 दिनांक 13.1.99 द्वारा रु० 49,86,549.57 (सिविल कार्य) तथा 4,09,183.05 जल आपूर्ति हेतु दिया गया। उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 1130/98 से 30 तक तथा बिल की सार प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 1131/98 पृष्ठ 1 से 13 तक की गई हैं की पड़ताल करने पर पाया गया कि प्रथम चलत बिल की मद संख्या 5/10 प्रोवाइडिंग एण्ड लेयिंग सीमेंट कन्क्रीट 1:2:4 की रिकार्ड प्रविष्टियां फाउंडेशन फुटिंग व कालम एवं पिलर की गलत गणना के कारण 47.39 घन मीटर के स्थान पर 47.441 घन मीटर तथा 7.40 घन मीटर के स्थान पर 7.432 घन मीटर का भुगतान 2350.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 1,11,486.35 + 17465.20 अर्थात कुल 128951.55 रुपये किया गया है जबकि कुल 54.79 घन मीटर (47.39 +7.40) मात्रा हेतु 2350.00 रुपये की दर से कुल 1,28,756.50 रुपये देय थे।

इस प्रकार संविदाकार को रु० 195.05 (128951.55 - 128756.50) का अधिक भुगतान किया गया है जिसको दोषी से शीघ्र वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये।

(2) कार्य आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु सरिया स्वयं क्रय करके उपयोग किया जाना था तथा सरिया अधिकृत विक्रेता/ स्वीकृत स्रोत से ISI मार्का का क्रय करके उपयोग करके इस सन्दर्भ में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना था। निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल अनुसार निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु सरिया क्रय करके रु० 4,14,098/-रुपये सुरक्षित अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया। परन्तु न तो इस सरिया को अधिकृत विक्रेता से क्रय करने के उपलक्ष्य में कोई बिल अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया गया और नही सरिया के आइ.एस.आइ. मार्का होने बारे कोई प्रमाण पत्र अभिलेख में उपलब्ध था। अतः उच्चाधिकारियों द्वारा तथ्यों को शीघ्र छान-बीन करके आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(31) निम्न विवरणानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के चलत बिलों की जांच करने पर पाया गया कि प्रत्येक निर्माण कार्य करवाते समय अनेक प्रतिस्थापित व अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाया गया था परन्तु इन मदों के न तो निष्पादन बाबत और न ही दर निर्धारण बाबत सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था तथा इन मदों के निष्पादन से सम्बन्धित भुगतान अस्थायी दरों के आधार पर ही किया जा रहा है। यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। भविष्य में इस संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही की ~~जाए~~ जानी सुनिश्चित की जाए।

अनुबन्ध संख्या	चलत बिल संख्या	मद संख्या	मद का नाम	कार्य की मात्रा	~~अस्थायी~~ अनन्तिम दर	किया गया भुगतान
18/1996-97 (कृषि विश्वविद्यालय के लिए हॉली डे होम का निर्माण)	दसवां	28/प्रतिस्थापी	पी/एल 80 एम.एम डोर स्टॉपर	36 नं.	24/65	887-40
		62/अतिरिक्त	फाटिंग इन ग्राउट वर्क इन डिस्केल	48-78 घन मी.	166-00	8097-48
		63/अतिरिक्त	स्टोन सोलिंग	27-36 घन मी.	335-00	9166-00
		64/प्रतिस्थापी	प्रोवाईडिंग रिजेज	74.15 मी.	150-00	11122-50
		65/प्रतिस्थापी	पी/एल 40 एम.एम थिक पेनल डोर शटर	52.10 वर्गमी.	1923-65	100222-16
		66/प्रतिस्थापी	पी/एल बीरन बोर्ड	274-87 वर्ग मी.	230-50	63358-00
		67/अतिरिक्त	पी/एल सी.सी 1:6:12	7-17 घन मी.	1523-00	10920-00
		68/अतिरिक्त	पी/एफ वायर गेज शटर	42.64 वर्गमी.	717-60	30598-00
		69/प्रतिस्थापी	एस/एफ ग्लास पेनल (अ) 2.5 एम.एम	13.80 वर्गमी.	185-65	2561-97
			(ब) 3 एम.एम.	17.65 वर्ग मी.	215-40	3801-81
		70/अतिरिक्त	पी/एल मोल्डिंग	64 मी.	61-55	3939-20
			(अ) टीक वुड			
			(ब) फ्रेम डोगी देवदार लकड़ी	329.95 मी.	24-60	8116-77
		71/अतिरिक्त	पी/एफ 40 एम.एम थिक लेमिन बोर्ड	2.31 वर्ग मी.	825-00	1905-75
		72/अतिरिक्त	पी/एल 40 एम.एम थिक पेनल शटर	2.37 वर्गमी.	2350-00	5569-50

73/अतिरिक्त	पी/एल पेनलिंग फार डोर शटर	21.24 वर्ग मी.	834-25	17719-47
74/अतिरिक्त	पी/एल पेन्टिंग	5.70 वर्ग मी.	1368-15	7798-45
75/अतिरिक्त	अपलाईंग कोट आफ पुट्टी	712-74 वर्ग मी.	25-90	18459-96
76/प्रतिस्थानी	पेन्टिंग टू कोट्स	280-00 वर्ग मी.	20-30	5684-00
77/अतिरिक्त	पी/एल एल्युमिनियम रेजेज	51 न.	6/85	349-55
78/अतिरिक्त	पी/एल 75 एम.एम x 60 एम.एम हारब्लाक	14.80 मी.	150-00	2220-00
79/अतिरिक्त	एक्स्ट्रा फार हार्ड वेल	14.80 मी.	8-45	125-06
80/अतिरिक्त	पी/एल साईट दराटिकर	13.20 मी.	326-60	4311-12
81/अतिरिक्त	पी/एल पीरोल टर्फ	4 न.	2906-85	11627-40

16 / 1996-97 (पालिका भवन का निर्माण)

दसवां 3/4/अतिरिक्त प्रतिस्थापित	फार्म वर्क इन स्लापिंग	201.52 वर्ग मी०	218-00	43931.36
	फार्म वर्क इन एजजेस	116.44 वर्ग मी०	118-00	13739.92
17/19/प्रतिस्थापित	प्रोवाईडिंग वुड वर्क फरेनस फस्ट क्लास देवदार वुड	16.635 घन मी०	35000	582225.0
15/16/ " "	आर. आर. मैसनरी	781.31 क्यूबिक मी०	1392.63	1088075.70
18/20/ " "	प्रोवाइडिंग फिक्सिंग 40 एम. एम थिक पैनल डोर-शटर	137.77 वर्ग मी०	1875	258318.75
22/26/ " "	प्रोवाईडिंग इवस बोर्ड 300x25 एम	182.04 रनिंग मी०	400	72816—
24/30/ " "	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग 100x62.5 एम एम.	140.30 रनिंग मी०	475	66642.50
	एक्सटरा फार [illegible]	140.30 रनिंग मी०	50	7015-00
25/32/ " "	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग [illegible] [illegible]	273.39 वर्ग मी०	1000	273390—

29/36 (बी)	प्रोवाईडिंग लेईंग एल्यूमीनियम टावर बोल्ट 200X10एम.एम.	32 नग	33.50	1072-00
31/41/प्रतिस्थापित	सी. पी. स्करटिंग	24.22 वर्ग मी०	100-00	2422-00
53/अतिरिक्त	प्रोवाईडिंग लेईंग सी.सी. 1:1½:3			
	(ए) वालस	97.288 घन मी०	~~2875.75~~ 2875.75	2,79,775.96
	(बी) बीम	112.675 घन मी०	2885.02	325,069.62
	(सी) कालम	62.308 घन मी०	2860-96	178,260.69
54/ " "	प्रोवाईडिंग लेईंग सी.सी. 1:2:4 स्टेयर केसस	17.69 घन मी०	4028.90.	71,271.24
55/ " "	स्टोन फिलिंग वीहाईड	91.85 घन मी०	208-00	19104-80
56/ " "	प्रोवाईडिंग लेईंग 1:2:4	11.84 घन मी०	1608.35	19042.86
57/ " "	6 एम.एम. सीमेन्ट प्लास्टर	1320.26 वर्ग मी०	33-00	43568.58
58/ " "	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग वायर गेज	144.90 वर्ग मी०	1000-00	1,44,900-00
59/ " "	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग पैनल ग्लेजड	121.90 घन मी०	1250-00	1,52,375-00

पृ० 172. (88)

60/अतिरिक्त		मोल्डिंग चैम्बर आफ देवदार वुड	1550.16 रनींग मी०	3.85	5968.10
61/"	"	स्टीलिंग होल्स	256 न०	16.	4096-00
62/"	"	प्रोवाइडिंग वुड वर्क इन फाल्स सीलिंग	5.681 घन मी०	25000	142025-00
63/"	"	प्रोवाइडिंग 50×50×50 एम	164 न०	7.65.	1254.60
64/"	"	प्रोवाइडिंग 10 सेमी० थिक प्लास्टर	81.77 वर्ग मी०	590.	48244-00
65/"	"	प्रोवाइडिंग लोडिंग लाईट पैनल बाक्स	20.12 वर्ग मीटर	1300	26156-00
66/"	"	प्रोवाइडिंग फिक्सिंग 19 एम.एम. थिक	169.72 वर्ग मीटर	680	115409.60
67/"	"	फ्लोर टाईल्स 8 एम० एम० थिक	50.28 वर्ग मीटर	800.	40224-00
68/"	"	ग्लेज्ड टाइल्स	326.46 वर्ग मी०	610.	199140-00
69/"	"	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग 40 एम० एम० थिक	86.66 वर्ग मीटर	1575-00	136489-50
70/"	"	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग प्लेन स्केवयर इज	1239.16. रनिंग मी०	12-00.	14869.92
71/"	"	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग 50×50 वुड	93.69 रनिंग मी०	200-00	18738-00

72/ अतिरिक्त	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग 40x20 एम.एम. मोल्ड्स ग्लास.	98.00 रनिंग मी०	20.00	7840.00
73/ " "	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग 20x12 एम.एम.	450.42 रनिंग मी०	20	9008.40
74/ " "	प्रोवाईडिंग फिक्सिंग टीक wood फास्ट क्लास	212.80 रनिंग मी०	400	85,120
75/ " "	एप्लाईंग ए कोट आफ पुटिंग	2183.56 वर्ग मी०	20.	43671.20
76/ " "	एस/एफ ग्लास प्लेन	183.40 वर्ग मी०	250.	45850.00
77/ " "	एबंसलाफार अलग	140.30 मी०	200	28060.00
78/ " "	पी०/एफ० प्लेन	138.41 घन मी०	650.	89966.50
79/ " "	प्रोवाईडिंग ई०वी० सी० बोर्ड	182.04 मी०	200	36408.00

18/1998-99 चौथा (आवास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आवास का निर्माण)

25/	प्रतिस्थानी	40 एम.एम. मार्बल चीप्स फ्लोरिंग	445.01 वर्ग मी.	253-55	112832-28
26/	"	मार्बल चीप्स स्कर्टिंग	39.93 वर्ग मी.	251-45	10040-40
27/	"	पी./एफ क्लीन बोर्ड शीट	223.85 वर्ग मी.	325-45	72851-98
28/	अतिरिक्त	प्रोवाईडिंग 90 सेमी. पी.जी. आई. शीट	27-00 मीटर	244-45	6600-15
29/	अतिरिक्त	पी/सी. सी.सी. 1:8:16	21.57 घन मी.	996-90	21503-13
30/	प्रतिस्थानी	फिनिशिंग एंड पालिश सिटिंग्स	25.71 घन मी.	230-00	5913-30
31/	अतिरिक्त	कांक्रीट फ्लोर शटरिंग	8.88 वर्ग मी.	145-95	1296-00

32	अतिरिक्त	पी/एस. वाटर गेज शटर	47.17 वर्ग मी.	984-25	46427-00
33	"	6 एम.एम. वाटर गेज शटर	115.18 वर्ग मी.	846-15	97459-55
34	"	पी./एल. फोरकोरेज वाटर प्रूफिंग	99.79 वर्ग मी.	96-55	9634-72

29/1997-98 (आवास बोर्ड के कर्मचारियों को आवास का निर्माण) पांचवा

3/3(एक)	अतिरिक्त	फार्मवर्क इन वरटीकल सरफेस	122.13 वर्ग मी.	66-05	8066-70
4/5(ई)	"	पी/सी सी.सी 1:2:4	7.40 घन.मी.	2071-10	15326-14
31	प्रतिस्थानी	40 एम.एम. चिप्स मार्बल चिप्स	366.42 वर्ग मी.	253-55	92905-80
32	"	मार्बल चिप्स सनकटिंग	35.76 वर्ग मी.	229-60	8210-50
33	"	पी/एल वायर गेज शटर	28.87 वर्ग मी.	839-00	24221-95
34	"	व्हाईट ग्लेज्ड टाईल्स	107.81 वर्ग मी.	846-40	91250-40
35	अतिरिक्त	पी/एल. फार्मवर्क	62.19 वर्ग मी.	96-10	5976-45
36	अतिरिक्त	आर. आर. मेसनरी	81.01 घन.मी.	1041-20	84347-60

32. विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के चलित बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संविदाकारों द्वारा चलित बिलों में किए गए कार्य बिल के लिए दावा प्रस्तुत करते समय, कार्य के दौरान सीमेंट प्रयोग से प्राप्त होने वाली खाली सीमेंट की बोरियों के 90% भाग के बराबर खाली बोरियों को अधिकृत खाली बोरी एकत्रण अभिकर्ता को वापिस दिए जाने बारे कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। अनुबन्ध की क्लाज 10 एफ (i) में दिए प्रावधानों के अनुसार 90% उपयोग की गई खाली सीमेंट की बोरियों को उपरोक्त अभिकर्ता को वापिस किया जाना वांछित था अन्यथा संविदाकार से 1.26 रुपये प्रति खाली बोरी की दर से मुआवजे की राशि वसूली करनी थी चयनित मासों के दौरान संविदाकारों को भुगतान किए गए निम्नलिखित बिलों अनुसार करवाए गए निर्माण कार्यों में कुल 28605 सीमेंट की बोरियां प्रयोग की गई थी। उपरोक्त की गई सीमेंट की बोरियों के 90 % भाग जो कि 25475 बोरियां बनती हैं, के लिए मुआवजा राशि 1.26 रुपये प्रति बोरी की दर से रु0 32438.70 रुपये की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए :-

वा.सं.	दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	उपयोग की गई बोरियों की सं.
48	13.7.98	स्टोर रूम, कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय प्रथम चलित बिल	श्री चन्द्रशेखर	330
74	24.7.98	माडल सैन्ट्रल जेल काण्डा, जाब सेवाएं प्रथम चलित बिल	मै0 एच.एस बिल्डरज	60
108	27.7.98	होस्टी डे होम टाप फ्लोर की फिनिशिंग प्रथम चलित बिल	-यथोपरि-	230

136

110	27.7.98	होली के होम अवरोध रोड प्रथम चलता बिल	श्री रमेश मित्र	540
82	22.3.99	पत्रिका भवन 10वां चलता बिल	मै0 राजिन्दर चौहान अरुण व कुमार	10700
123	31.3.99	माडल सेन्ट्रल जेल कण्डा दूसरा चलता बिल	श्री अशोक कुमार	750
125	31.3.99	आवास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए आवास चौथा चलता बिल	श्री रविन्दर सिंह	12000
131	31.3.99	आवास का निर्माण पांचवा चलता बिल	श्री रविन्दर सिंह	1738
148	-"-	पुलिस आवासीय कालोनी केन्द्र प्रथम चलता बिल	श्री सतीश कुमार गोयल	980
150	-"-	पुलिस आवासीय कालोनी केन्द्र प्रथम चलता बिल	श्री सतीश कुमार गोयल	577
160	-"-	सामाजिक वित्तीय योजना स्टाफरी लिए 10वां चलता बिल	श्री सतीश कुमार गोयल	11000
129	-"-	पुलिस आवासीय कालोनी रामपुर	श्री अनिल चौहान	500

28605 योग